वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे

दिल्ली विकास प्राधिकरण

2022-23

डीडीए मुख्यालय विकास सदन

डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द्वारका

नेहरू प्लेस स्काईवॉक

नरेला फ्लैट्स

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आवास और शहरी कार्य मंत्रालय)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

1. हमने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(2) के उपबंधों के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी डी.डी.ए. प्रबंधन की है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने का है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) मानकों आदि के संबंध में लेखांकन प्रणाली पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल है। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमनिष्ठता) के अनुपालन तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से दी गई है।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा लागू नियमों और भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की गलतबयानी न होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। हमारी लेखा-परीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) शामिल है। हमारी लेखा-परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समस्त प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम कहना चाहते है किः-

(i) हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थी, प्राप्त की है।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे दिए प्रारूप में लेखे तैयार किएः-

क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समान प्रारूप में तैयार किए गए सामान्य विकास खातों के संबंध में तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखे।

ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल-I के संबंध में तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल- II के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

(iii) हमारी राय में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(1) के अंतर्गत तथा अपेक्षित उचित लेखा बही और अन्य संबंद्ध रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच के दौरान देखा गया है।

(iv) हम यह भी कहना चाहते हैं किः

क. नजूल-I

तुलन - पत्र

1. देयताएँ- 357.99 करोड़ रुपये

उपर्युक्त के अंतर्गत 30.24 करोड़ रुपये की राशि ''पिछले तुलन-पत्र के अनुसार देयताओं पर परिसंपत्तियों की अधिकता'' के रूप में शामिल है, जो उचंत खाते की प्रकृति की है और राशि के समाशोधन (क्लीयरेंस) में बिना किसी प्रगति के वर्ष दर वर्ष अग्रेषित किया जा रहा है। चूंकि उपर्युक्त राशि के समर्थन में कोई विवरण नहीं है और समाधान के बारे में किसी प्रगति के अभाव में राशि का औचित्य और तुलन-पत्र स्वत: सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

परिसंपत्तियां

2. विविध देनदार-105.91 करोड़ रुपये (अनुसूची डी)

दि.वि.प्रा. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के तहत 'नजूल करार' के माध्यम से तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के निपटान में रखी गई सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जाधारियों से ब्याज सहित क्षति शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत है। हालांकि, 2018-19 से बार-बार पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद, भी दि. वि. प्रा. ने वर्ष 2022-23 के लिए क्षति शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की है।

ख. नजूल-II

प्राप्तियां और भुगतान खाता

1. अन्य विविध प्राप्तियां - 61.78 करोड़ रुपये

अन्य विविध प्राप्तियों के तहत बुक किए गए 61.78 करोड़ रुपये की राशि का विवरण संबंधित संपत्ति के साथ स्पष्ट रूप से पता लगाए जाने योग्य नहीं था और न ही इसका समाशोधन किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विवरण के विविध प्राप्तियों के तहत इतनी बड़ी राशि की बुकिंग के लिए दि. वि. प्रा. में समीक्षा की आवश्यकता है। विवरण/समाशोधन के अभाव में, 61.78 करोड़ रुपये की विविध प्राप्तियों की राशि लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं की जा सकी। यह मामला 2019-20 में भी उजागर (हाइलाइट किया) गया है।

2. नजूल-II के लिए तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा तैयार न करना

नजूल - II भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है। नजूल-II लेखों के संबंध में डीडीए ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार किया। इसके परिणामस्वरूप, नजूल-II खातों की परिसंपत्तियों और देयताओं को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है ।लेखा परीक्षा, वर्ष 2012-13 से नजूल- II का तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा तैयार न करने पर बार-बार टिप्पणी कर रहा है। तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. सामान्य विकास खाता

तुलन-पत्र (सामान्य विकास खाता)

1. देयताएं

1.1 अन्य देयताएं

डीडीए की विभिन्न आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिमः- 410.15 करोड़ रुपये आबंटितियों से अग्रिम - एम.ओ.आर. भूमि- 9.06 करोड़ रुपये

डीडीए ने 410.15 करोड़ रुपये को 'डीडीए की विभिन्न आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम' और 9.06 करोड़ रुपये अन्य देयताओं (अनुसूची सी) शीर्ष के अंतर्गत - 'आबंटितियों से अग्रिम - पुनर्वास मंत्रालय

भूमि' के रूप में मान्यता दी है। हालांकि इस राशि के समर्थन में प्राप्त अग्रिमों का आबंटिती-वार विवरण, उनकी प्राप्ति की तिथि और आबंटन की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा डीडीए की विभिन्न आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम' और' आबंटितियों से अग्रिम - एम.ओ.आर. भूमि शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 419.21 करोड़ रुपए की सटीकता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थी। इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 से टिप्पणी की गई है तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

1.2 बयाना जमा राशि/पंजीकरण राशि- 24.97 करोड़ रुपये

उपर्युक्त विभिन्न आवेदकों से प्राप्त आवेदन राशि को दर्शाता है और चूंकि उन्हें फ्लैट आबंटित नहीं किए गए थे, इसलिए वह राशि वापसी योग्य थी। हालांकि, डीडीए ने 2004 से राशि के लंबित होने के बावजूद संबंधित आबंटितियों को बयाना जमा राशि/पंजीकरण राशि वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। विस्तृत अनुसूची के अभाव में, राशि की शुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकी और खातों पर इसका प्रभाव बढ़ता गया। वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रबंधन ने उचित कार्रवाई करके देनदारियों को कम करने का आश्वासन दिया, हालांकि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

1.3 जी.डी.ए.-उचंत खाता- 13.26 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष क्रमश: 2019-20, 2020-21 और 2021-2022 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरण पर एसएआर के अनुलग्नक हेतु संदर्भ आमंत्रित किया गया, जिसमें उचंत खाते के समाधान नहीं होने के मुद्दे का उल्लेख किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि 13.26 करोड़ रुपये की राशि (पिछले वर्ष 13.19 करोड़ रुपए) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अभी तक 'उचंत खाते' के अंतर्गत दर्शायी गई है। डीडीए द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2. परिसंपत्तियाँ

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची एफ)

विविध देनदार- 540.47 करोड़ रुपए

लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 11 (अनुसूची-ओ) में यह सूचित किया गया है कि 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार विविध देनदारों के विधिवत समाशोधित पार्टीवार और आयुवार विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं है। डीडीए देनदारों का पार्टीवार और आयुवार ब्यौरा (295.85 करोड़ रू के जल प्रभारों को छोड़कर) नहीं रख रहा है, इसलिए लेखा परीक्षा 244.62 करोड़ रुपए की राशि के विविध देनदारों की प्रमाणिकता, मौजूदगी और वसूली योग्यता को सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं है। लेखा पर टिप्पणियों में केवल इस बात का प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है कि देनदारों का समाधान नहीं किया गया था । वर्ष 2013-14 से पूर्ववर्ती एसएआर में इस मुद्दे को बार-बार उठाने के बावजूद डीडीए आज तक विविध देनदारों के पार्टीवार और आयुवार ब्यौरों का रखरखाव नहीं कर पाया है ।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची एन)

इन्वेंट्रीज (मद सं. 7)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची-एन) के मद सं. 7 के अनसार इन्वेंट्रीज का मूल्य निर्धारण कम लागत अथवा निवल वसूली मूल्य (एन.आर.वी.) पर किया जाता है। 'इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन' लेखांकन मानक-2 से संबंधित पैरा 25 में स्पष्ट है कि मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एन.आर.वी. का किया जाता है। एनआरवी का ऐसा कोई मूल्यांकन डीडीए द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप एएस-2 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति से. 7 का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, लेखा की टिप्पणियों में इन्वेंट्रीज की कीमत का

मूल्यांकन न किए जाने को भी उपयुक्त रूप से प्रकट नहीं किया गया । इस बारे में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में भी लेखा परीक्षा ने टिप्पणी की थी लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

4. लेखा की टिप्पणियां (अनुसूची ओ)

4.1 सामान्य

खातों के समान प्रारुप के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का प्रकटीकरण लागत/बही मूल्य पर किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर तुलन-पत्र के नोट्स/टिप्पणी में दिया जाना चाहिए। लेखा-परीक्षा में पाया गया कि खातों के नोट्स में अंतर का प्रकटीकरण नहीं किया गया।

4.2 कर्मचारी लाभ - टिप्पणी सं. 4

टिप्पणी 4 (ii) में कहा गया है कि प्राधिकरण ने 31.03.2023 को प्राधिकरण की पंशन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 7,939.48 करोड़ रुपये थी, जिसमें 676.31 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान वर्ष से संबंधित है। यद्यपि, यह देखा गया कि पेंशन ट्रस्ट डीड के उल्लंघन में डीडीए पेंशन ट्रस्ट को निधि हस्तांतरित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा था, जैसा कि बीमांकक द्वारा गणना की गई थी। डीडीए द्वारा पेंशन ट्रस्ट को वर्षवार अंशदान और कमी दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशि करोड़ रु. में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बीमांकक द्वारा परिकलित पेंशन देयता राशि	559.01	623.49	508.72	529.84	676.31
डीडीए द्वारा अंतरित राशि	99	208	235	259.10	390.02
कमी	460.01	415.49	273.72	270.74	286.29

इस प्रकार, उपरोक्त से, यह दर्शाया गया है कि पेंशन ट्रस्ट को प्रेषण में कमी 2018-19 में 460.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1,706.25 करोड़ रुपये हो गई है।

इसलिए, टिप्पणी अधूरी थी क्योंकि पेंशन फंड ट्रस्ट को प्रेषण में कमी का प्रकटन नहीं किया गया है। यह मुद्दा वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी उठाया गया था, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

4.3 निर्धारित निधि - टिप्पणी सं. 9

प्रत्येक निर्धारित निधि की परिसंपत्तियों और देनदारियों के शेष में अंतर था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(राशि करोड़ रु. में)

	कुल देयताएँ	कुल परिसंपत्तियाँ
शहरी विकास निधि	4,620.67	4,428.78
कर्मचारी हित निधि	0.57	0.34
सिविल कार्य रख-रखाव निधि	784.74	709.17
इलेक्ट्रिकल कार्य रख-रखाव निधि	117.38	108.17
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	7.55	7.58
ईडब्ल्यू आवास आरक्षण निधि	462.13	2220.07
विशेष विकास निधि	84.89	51.28

इस तथ्य का नोट्स में खुलासा/प्रकटीकरण नहीं किया गया है कि खातों के समान प्रारुप के सामान्य नोट्स की अनुसूची 3 के मद (ख) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, निर्धारित निधि को विशेष रुप से निर्धारित निवेश अथवा अन्य परिसंपत्तियों द्वारा दर्शाया नहीं गया है।

घ. प्रबंधन-पत्र

ऐसी कमियों, जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को निवारक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन-पत्र के माध्यम से उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के संज्ञान में लाया जाएगा।

(v). पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और आय और व्यय खाता/प्राप्ति और भुगतान खाता लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

(vi). हमारी राय में एवं हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य सामग्री के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाला उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करता है:-

क) जहां तक कि यह 31 मार्च 2023 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) से संबंधित है, और

ख) जहां तक कि यह उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

हस्ता/-
(राजीव कुमार पांडे)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15 मार्च, 2024

31 मार्च, 2023 का समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

उप मुख्य लेखाधिकारी की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) की आतंरिक लेखापरीक्षा उसके अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा संचालित की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के प्रशासनिक कंट्रोल के अंतर्गत 216 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 52 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिनमें से वर्ष के दौरान केवल 34 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा सकी थी। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र संगठन के आकार के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, 31.03.2023 तक 18,131 बकाया पैरा का निपटान किया जाना है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण को विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है:

(i) दि.वि.प्रा. में कोई अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति नहीं है। सभी कर्मचारियों को भ्रष्ट, अनैतिक आचरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, प्राधिकरण की आचार संहिता के संभावित उल्लंघन जैसे किसी भी कदाचार के खिलाफ अपने मुद्दे उठाने में सक्षम बनाने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने की आवश्यकता है। एक इस तरह की नीति की भी आवश्यकता है, जो यदि कोई कर्मचारी इकाई में किसी गलत कार्य के लिए आवाज उठाता है, तो यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया और जांच तंत्र की रूपरेखा तैयार करेगी।

(ii) प्रभावी लेखांकन और नियंत्रण के लिए कोई परिचालन, वित्तीय और लेखांकन मैनुअल या मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है। प्राधिकरण की ओर से उत्तर दिया गया है कि डीडीए के लिए बजट एवं लेखा नियम, 1982 लेखांकन मैनुअल के रूप में काम करता है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम मैनुअल का काम नहीं कर सकते इसलिए नियमों के आधार पर एस.ओ.पी. तैयार किए जाएं।

(iii) कोई निर्धारित, प्रलेखित या अनुमोदित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) नहीं है।

(iv) दि.वि.प्रा. की कोई जोखिम मूल्यांकन नीति नहीं है।

(v) दि.वि.प्रा. की धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम की कोई अनुमोदित नीति नहीं है।

(vi) दि.वि.प्रा. ने विभिन्न संचालनों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों में कदमों की सूची तैयार करने के लिए फ्लो चार्ट तैयार नहीं किया है, जो इसके कामकाज के लिए विशिष्ट थे।

(vii) प्राधिकरण ने क्रेताओं द्वारा किए गए भुगतान और चालानों की प्रतियों का कोई विवरण नहीं रखा है, इसलिए वह क्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर निर्भर है। इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि बैंक में प्राप्त की गई राशि का भुगतान किस सम्पत्ति से संबंधित है।

(viii) प्राधिकरण ने पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों, पट्टे को सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले किराये और पट्टे की सम्पत्तियों के लंबित किराये के लेखांकन का विवरण नहीं रखा है। इसके अभाव में लेखापरीक्षा लाइसेंस फीस के रूप में लेखांकित आंकड़ों की सटीकता और संपूर्णता को निश्चित कर पाने में असमर्थ है।

(ix) उपार्जित आधार पर लेखों को तैयार न करना

दि.वि.प्रा. की सात केन्द्रीय लेखांकन इकाइयाँ हैं, जैसे कि सी.ए.यू. (उत्तरी क्षेत्र), सी.ए.यू. (दक्षिणी क्षेत्र), सी.ए.यू. (पूर्वी क्षेत्र), सी.ए.यू.(द्वारका), सी.ए.यू. (रोहिणी), सी.ए.यू. (पी. और सी. डब्ल्यू. जी.) और सी.ए.यू. (खेल)। इसके अतिरिक्त, सी.ए.यू. के अलावा सात लेखांकन इकाइयां जैसे-रोकड़ (मुख्य), रोकड़ (आवास), कर्मचारी हित निधि, चिकित्सा, भीकाजी कामा प्लेस, वेतन एवं लेखा कार्यालय और यूटीपैक हैं। दि.वि.प्रा.

मुख्यतः सी.ए.यू. स्तर पर मासिक लेखा तैयार करने के लिए के.लो.नि.वि. के पैटर्न का अनुसरण करता है। सी.ए.यू. द्वारा दिए गए मासिक लेखा मुख्यालय स्तर पर वर्गीकृत और समेकित सार में दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टियों को पारित करके कर परामर्शदाता द्वारा नकद आधार लेखों को उपार्जन आधार लेखों में परिवर्तित करके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार, जब भी लेन-देन किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने लेन-देन का रिकार्ड उपार्जित आधार पर नहीं रखता है। कुछ तदनुकूल लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम को लागू करने हेतु तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, जो दि.वि.प्रा. की लेखा प्रणाली को सुचारू बनाने में मदद करेगा। यह दि.वि.प्रा. द्वारा आंतरिक नियंत्रण में कमी और खराब निगरानी को दर्शाता है। यह टिप्पणी वर्ष 2020-2021 और 2021-22 के दौरान भी की गई थी, हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई भी संशोधनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(x) आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप अतिक्रमण की गई भूमि के मासिक विवरण को प्रस्तुत नहीं किया जाना

दि.वि.प्रा. ने दिनांक 27 सितंबर, 2018 के आदेश द्वारा डीडीए में भूमि संरक्षण हेतु प्रक्रिया और प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि संबंधित अधीक्षण अभियंता निर्धारित प्रारुप में प्रत्येक माह के दौरान पता लगे/रिपोर्ट किए गए अतिक्रमणों की संख्या, निर्माण गिराने की कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या, अनुमोदित किए गए मामलों की संख्या और निष्पादित किए गए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तथापि, लेखा परीक्षा ने यह पाया कि संबंधित अधिकारी द्वारा कोई मासिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा रोहिणी जोन में अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा 506 फ्लैटों का अधिभोग किया हुआ था। इसके अतिरिक्त, अन्य जोनों में भी अतिक्रमण का विवरण नहीं रखा गया। यह अतिक्रमण के संबंध में डीडीए के दिशा-निर्देशों के पालन को उल्लंघन दर्शाता है। यह मामला वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी उठाया गया था, हालॉकि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3. इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली।

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 213 (2) के अनुसार, वर्ष में कम से कम एक बार सभी उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सामग्रियों का वास्तविक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इस संबंध में डीडीए ने अपनी इकाइयों द्वारा प्रदत्त वास्तविक मौजूदा माल की पुष्टि करते हुए वास्तविक सत्यापन प्रमाणपत्र पर विचार किया है, तथापि लेखा परीक्षा को सभी मालसूचियों के वास्तविक सत्यापन की मदवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में तुलन पत्र में दर्शायी गई मालसूची की प्रमाणिकता के संबंध में लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं है।

4. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा के दौरान देयताओं के भुगतान में कोई कमी नहीं देखी गई।

5. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 213(1) के अनुसार अचल संपत्तियों की सूची का रखरखाव सामान्य रूप से साइट पर किया जाएगा। अचल संपत्तियों को वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में दि.वि.प्रा. ने अपनी इकाइयों द्वारा संपत्तियों की वास्तविक मौजूदगी के विषय में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की पुष्टि करने वाले वास्तविक सत्यापन प्रमाण पत्र पर विचार किया है। तथापि, सभी अचल संपत्तियों की मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसके अभाव स्वरूप लेखापरीक्षा तुलन पत्र में दर्शायी गई अचल संपत्तियों की प्रमाणिकता और मौजूदगी के संबंध में आश्वासन देने में असमर्थ है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वार्षिक लेखा

वर्ष

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वार्षिक लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

31 मार्च - 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	अनुसूची	31-मार्च-2023 को	31-मार्च-2022 को
कोर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं			
आरक्षित एवं अधिशेष	ए	8,690.41	9,028.71
निर्धारित/अक्षय निधि	बी	6,079.66	6,200.71
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	सी	12,778.79	12,130.49
कुल		**27,548.86**	**27,359.91**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	डी	163.93	160.44
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य		0.00	9.89
निर्धारित परिसंपत्तियां/अक्षय निधि	ई	7,527.41	8,429.41
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	एफ	19,857.52	18,760.17
कुल		**27,548.86**	**27,359.91**
वित्तीय विवरण के भाग की अनुसूची	ए-पी		
नकद और बैंक में अंतिम शेष को दर्शाने वाला विवरण	एम		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	एन		
लेखों पर टिप्पणियां	ओ		
निवेश के अंतिम शेष को दर्शाने वाला विवरण	पी		

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

31 मार्च - 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	अनुसूची	31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	जी		1,036.92		803.40
निवेश से आय	एच		84.92		87.30
अन्य आय	आई		201.41		155.67
स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी) - ई.डब्ल्यू.एस.	जे.1		37.91		309.61
स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी) - अन्य	जे.2		1,087.31		1,070.18
सकल योग			**2,448.46**		**2,426.16**
ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित आय			227.64		320.92
कुल आय			**2,220.82**		**2,105.24**
व्यय					
विकास एवं निर्माण व्यय					
-भूमि एवं संबंधित कार्य		2.34		0.76	
-विनिर्दिष्ट आवास योजना-ई.डब्ल्यू.एस. आवास		208.40		304.76	
-अन्य आवासीय योजनाएं		179.81		1,561.95	
-अन्य विकास व्यय		1,420.66		12.45	
-निपटाए गए माध्यस्थम् मामले		13.76		42.11	
-व्यावसायिक सम्पदा		0.01	1,824.98	11.75	1,933.78
सम्पत्तियों का रख-रखाव			109.59		111.42
संस्थापना एवं प्रशासन	के		341.51		436.23
नजूल.II से ब्याज			319.45		284.36
मूल्यह्रास	डी		15.77		17.21
सकल योग			**2,611.30**		**2,783.00**
ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित व्यय			208.40		304.76
कुल व्यय			**2,402.90**		**2,478.24**
पूर्व अवधि मदों तथा असाधारण मदों से पहले व्यय पर आय की अधिकता			**-182.08**		**-373.00**
पूर्व अविध आय/(व्यय)-ई.डब्ल्यू.एस.	एल				
पूर्व अवधि आय/(व्यय)			2.82		-6.58
असाधारण मदों कें बाद वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता			**-179.26**		

हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां (करोड़ रु. में)					भुगतान (करोड़ रु. में)				
लेखा शीर्ष	**2022-23**		**2021-22**		**लेखा शीर्ष**	**2022-23**		**2021-22**	
प्रारंभिक शेष									
नकद	0.01	-	0.06		प्रशासन एवं संस्थापना	260.89		278.99	
बचत खाते में शेष	1,412.37	-	1,526.96		घटाएँ: कार्य से वसूल की गई राशि				
ट्रांजिट में प्रेषित धनराशि	4.45	-	0.13		**कुल**	**260.89**		**278.99**	
	1,416.82		**1,527.15**						
घटाएं: निम्नलिखित खातों से संबंधित लेनदेन का शेष					घटाएँ: वूसल की गई शेयर लागत				
नजूल-I	6.44	-	2.34		नजूल खाता-I	2.35		1.73	
नजूल-II	850.19	-	705.58		नजूल खाता-II	177.41		157.65	
विशेष जमा राशि नजूल- II	-	-	-		दिल्ली मुख्य योजना	0.26		0.57	
	560.19		**819.23**		**अंतरित की गई कुल शेयर लागत**				
जोड़ें: सावधि जमा-सामान्य निवेश	-	560.19		819.23			80.88		119.04
कार्य एवं विकास योजनाओं से राजस्व					**कार्य एवं विकास योजनाओं पर व्यय**		123.59		119.06
भूमि के निपटान से प्राशुल्क	147.92		2.59						
आवासों एवं दुकानों के निपटान से प्राशुल्क	665.59	813.51	853.29	855.88	**आवासों एवं दुकानों के निर्माण पर व्यय**		1,622.51		1,875.20
लाइसेंस शुल्क	-	46.09	-	44.34	पंजीकरण राशि एवं धन वापसी (रिफंड) पर ब्याज (रिफंड)				
भू भाटक	-	2.64	-	1.91	भंडार				
सामान्य निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	विविध व्यय		18.15		1.69
अन्य राजस्व		153.38	-	115.85	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		7.79		3.44
सामान्य निवेश	-	-	-	-	**सामान्य निवेश**				
निवेश का नकदीकरण	-	-	-	-	किया गया निवेश		3.33		
शहरी विकास निधि			-	-	**शहरी विकास निधि**				
निवेश का नकदीकरण	2,398.61	-	3,794.60	-	निवेश	2,104.52		3,615.06	
परिवर्तन प्रभार	124.80	-	53.22	-	परिवर्तन प्रभार धन वापसी (रिफंड)	8.28		1.96	
निवेश पर ब्याज	303.93	-	369.00	-					
यूडीएफ में पेंशन से प्राप्त	-	-	80.98	-	यूडीएफ से पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान			85.54	
यूडीएफ में नजूल-II से प्राप्त राशि	1,647.08	-	3,371.84	-	यूडीएफ से नजूल II को भुगतान	1,712.65		3,369.55	
यूडीएफ में सीएमएफ से प्राप्त राशि	3.10	-	-	-	यूडीएफ से सीएमएफ को भुगतान की गई राशि	3.10			
आकस्मिक से यूडीएफ को प्राप्त राशि	53.00	-	-	-	यूडीएफ से आकस्मिक को भुगतान	53.00		5.98	

प्राप्तियां (करोड़ रु. में)					भुगतान (करोड़ रु. में)				
लेखा शीर्ष	**2022-23**		**2021-22**		**लेखा शीर्ष**	**2022-23**		**2021-22**	
परिवर्तन प्रभारों पर ब्याज	6.37	-	-	-					
यू.डी.एफ. बचत पर ब्याज	0.53	4,537.42	6.13	7,675.77	अन्य विभागों को अनुदान एवं ऋण	689.76	4,571.30	641.36	7,719.46
नई पेंशन योजना					**नई पेंशन योजना**				
एनपीएस के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान		15.40		12.79	एनपीएस अंशदान हेतु एनएसडीएल को भुगतान		47.27		25.99
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी					**व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी**				
कर्मचारियों से अंशदान		0.05		0.04	भुगतान किया गया मुआवजा		-		
ईडब्ल्यूएस आवास रिजर्व					**ईडब्ल्यूएस आवास रिजर्व**				
निवेश का नकदीकरण	0.17		171.02		किया गया निवेश	0.17			
ईडब्ल्यूएस बचत पर ब्याज	0.10		1.34						
ईडब्लयूएस निवेश पर ब्याज	2.79		11.41						
ईडब्लयूएस में नजूल II से प्राप्त राशि	8.25		65.46		ईडब्ल्यूएस से नजूल II को भुगतान की गई राशि	2.79		61.41	
ईडब्ल्यूएस में पेंशन से प्राप्त राशि	-	11.31		249.23	ईडब्ल्यूएस से पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	-	2.96		61.41
हितकारी निधि					**हितकारी निधि**				
कर्मचारी हित निधि के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान		0.71		0.93	संवितरण		0.51		1.29
कर्मचारी हित निधि					**कर्मचारी हित निधि**				
निवेश का नकदीकरण	0.32		0.30		निवेश	0.33		0.32	
प्राप्त ब्याज	0.02		0.02		संवितरण				
नजूल-II से प्राप्त राशि	0.33	0.67		0.32	नजूल-II को भुगतान की गई राशि	0.33	0.66		0.32
विद्युत रख-रखाव निधि					**विद्युत रख-रखाव फंड निधि**				
निवेश का नकदीकरण	64.95		50.00		किया गया निवेश	31.16		58.21	
बचत पर प्राप्त ब्याज	0.10								
निवेश पर प्राप्त ब्याज	5.96		7.74		ईएमएफ एस्क्रो खाते को अंतरित राशि				
ईएमएफ में जीडीए से प्राप्त राशि					ईएमएफ से जीडीए को भुगतान की गई राशि				
ईएमएफ में नजूल II से प्राप्त राशि	60.45		18.22		ईएमएफ से नजूल II को भुगतान की गई राशि	60.45		17.93	
ईएमएफ में सीएमएफ से प्राप्त राशि		131.46	38.00	113.96	ईएमएफ से सीएमएफ को भुगतान की गई राशि		91.61	31.45	107.59
सिविल कार्य रख-रखाव योजना					**सिविल कार्य रख-रखाव योजना**				
निवेश का नकदीकरण	202.92		421.55		किया गया निवेश	277.09		475.70	
बचत पर प्राप्त ब्याज	0.02								
निवेश पर प्राप्त ब्याज	46.77		54.06						
सीएमएफ में नजूल II से प्राप्त राशि	231.25		450.21		सीएमएफ से नजूल II को भुगतान की गई राशि	232.18		453.90	

प्राप्तियां (करोड़ रु. में)					भुगतान (करोड़ रु. में)				
लेखा शीर्ष	**2022-23**		**2021-22**		**लेखा शीर्ष**	**2022-23**		**2021-22**	
सीएमएफ में पेंशन से प्राप्त राशि					सीएमएफ एस्क्रो खाते को अंतरित की गई राशि				
सीएमएफ में जीडीए से प्राप्त राशि					सीएमएफ से जीडीए को भुगतान की गई राशि				
सीएमएफ में ईएमएफ से प्राप्त राशि			31.45		सीएमएफ से ईएमएफ को भुगतान की गई राशि			38.00	
		480.97		957.27	ओटीएम का रिफंड रख-रखाव निधि	-	509.27	-	967.60
विशेष विकास निधि					**विशेष विकास निधि**				
निवेश का नकदीकरण	-				किया गया निवेश	36.80			
बचत पर ब्याज-यू सी सेल- एसडीएफ	0.30		0.30		संविदा स्टाफ को पारिश्रमिक (यूसी-सेल)	0.19		2.73	
एसडीएफ में नजूल-II से प्राप्त राशि	11.80		14.94		एसडीएफ से नजूल-II को भुगतान की गई राशि	33.12		8.24	
परिवर्तन प्रभार- अनधिकृत कॉलोनियां	69.73	81.83	21.93	37.17	परिवर्तन प्रभार- अनधिकृत कॉलोनियां	0.43	70.55		10.97
दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना खाता					**दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना खाता**				
बचत पर प्राप्त ब्याज	0.01								
निवेश पर प्राप्त ब्याज	0.33		0.17						
निवेश का नकदीकरण	6.70	7.03	3.05	3.22	किया गया निवेश		7.03		3.22
सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार					**सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार**				
निवेश का नकदीकरण	1.36				किया गया निवेश		1.43		
बचत पर प्राप्त ब्याज	0.06								
निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	1.43	0.00	0.00					
अन्य विभागों से दिविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00		0.00		**अन्य विभागों से दिविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की कर्मचारी लाभ योजनाएं**	0.00		0.00	
भविष्य निधि	0.35		0.43		भविष्य निधि	1.08		1.81	
स्टाफ के वेतन से एलआई प्रीमियम की	-	0.35		0.43	उपदान निधि		1.08		1.81
वूसली									
आकस्मिक आरक्षित निधि					**आकस्मिक आरक्षित निधि**				
निवेश का नकदीकरण	462.34		1,316.58		किया गया निवेश			1,429.22	
आकस्मिक निवेश पर ब्याज	103.22		139.68						
आकस्मिक में बचत पर ब्याज	0.45		0.81						
आकस्मिक में पेंशन से प्राप्त राशि	11.55		147.38		आकस्मिक से पेंशन फंड ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि			153.15	
आकस्मिक से नजूल-II से प्राप्त राशि	516.18		1,355.88		आकस्मिक से नजल-II को भुगतान की गई राशि	501.77	1,041.01	1,398.45	2,980.82
आकस्मिक में यूडीएफ से प्राप्त राशि		1,093.74	5.98	2,966.31					
बयाना राशि जमा/पंजीकरण राशि					**बयाना राशि जमा/पंजीकरण राशि**				
हाउसिंग स्कीम		117.76		222.06	हाउसिंग स्कीम		228.26		375.77
सामूहिक बीमा योजना					**सामूहिक बीमा योजना**				

प्राप्तियां (करोड़ रु. में)					भुगतान (करोड़ रु. में)				
लेखा शीर्ष	**2022-23**		**2021-22**		**लेखा शीर्ष**	**2022-23**		**2021-22**	
कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान		0.03		0.04	कर्मचारियों को भुगतान		0.08		0.10
अग्रिम राशि / समायोजन		0.69		8.40	कर्मचारी अग्रिम राशि		5.29		49.00
जमा एवं प्रतिधारण		329.68		107.51	जमा एवं प्रतिधारण		300.07		99.57
डिपॉजिट वर्क		1.44		3.05	डिपॉजिट वर्क		14.17		3.96
					संपत्ति कर		0.81		1.33
सांविधिक कटौती/संग्रहण- कर, शुल्क एवं उपकर		172.33		197.41	सांविधिक कटौती/संग्रहण कर, शुल्क एवं उपकर		250.06		197.46
इंटर यूनिट खाते		3,195.26		3,660.91	इंटर यूनिट खाते		3,195.26		3,660.91
जीडीए में नजूल-II से प्राप्त राशि		2,296.56		1,820.98	जीडीए से नजूल-II को भुगतान की गई राशि		923.54		535.74
जीडीए में पीआरएमबी ट्रस्ट से प्राप्त राशि		4.01		1.00	जीडीए से पीआरएमबी ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		50.01		35.00
जीडीए में नजूल-I से प्राप्त राशि		1.57		6.78	जीडीए से नजूल-I को भुगतान की गई राशि		4.66		3.72
जीडीए में पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि		0.02			जीडीए से पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		390.02		259.10
जीडीए में उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि		-			जीडीए से उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		30.00		14.18
जीडीए में सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त राशि		29.21		51.29	जीडीए से सामान्य भविष्य निधि को भुगतान की गई राशि		113.19		103.17
जीडीए में छुट्टी नकदीकरण निधि से प्राप्त राशि		0.10		1.14	जीडीए से छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		0.17		37.11
					ट्रस्ट अकाउंट को अंतरित सामान्य भविष्य निधि का बैंक शेष अंतरण				
					अंत शेष				
					नकद रोकड	0.00		0.01	
					बचत खातो में शेष	896.99		1,412.37	
					रेमीटेन्स इन ट्रान्जिट	11.84		4.45	
						908.83		**1,416.82**	
					घटाएँ: निम्नलिखित से संबंधित लेनदेन का शेष:				
					नजूल I	9.11		6.44	
					नजूल II	519.39		850.19	
					नजूल II में विशेष जमा				
					जोड़ें: सावधि जमा-सामान्य निवेश		380.23		560.19
कुल		**14,086.83**		**19,935.23**	**कुल**		**14,086.83**		**19,935.23**

हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-ए

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को	
आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
राजस्व खाते में अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	7,608.17		8,061.14	
सी.डब्ल्यू.जी. आरक्षित निधि से अंतरित				
जोडें: ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि से अंतरित राशि	-185.00		-	
घटाएँ: आकस्मिक आरक्षित निधि को अंतरित आकस्मिक आरक्षित निधि पर ब्याज आय	-76.43		-73.40	
जोडें: वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता	-179.26	**7,167.48**	-379.58	**7,608.17**
विशिष्ट आरक्षित निधि				
आकस्मिक आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	1,416.55		1,397.48	
जोडे: राजस्व खाते में अधिशेष से अंतरित ब्याजआय	76.43		73.40	
घटाएं: पैंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	11.55		-5.77	
घटाएं : नजूल-II से प्राप्त राशि	14.41		-42.57	
घटाएं : यूडीएफ को राशि देय	-	**1,518.94**	-5.98	**1,416.55**
आवास अग्नि जोखिम के लिए आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	3.99		3.99	
जोडे: वर्ष के दौरान वूसल किया गया आवास अग्नि जोखिम प्राशुल्क		3.99		3.99
कुल		**8,690.41**		**9,028.71**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-बी

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	31-मार्च-2023 को	31-मार्च-2022 को
निर्धारित /अक्षय निधि		
1) शहरी विकास निधि		
प्रारंभिक शेष	4,997.87	5,331.05
जोडे: निधियों में जोड़ी गई राशि		
वर्ष के दौरान प्राप्त परिवर्तन प्रभार	120.06	51.26
निवेश पर अर्जित ब्याज तथा बचत बैंक ब्याज	251.70	253.21
अन्य ब्याज	6.37	-
आकस्मिक राशि से प्राप्त राशि	-	5.98
घटाएं: निधि के उददेश्य के लिए उपयोग/व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण (दिया गया अनुदान)	-689.76	-641.36
नजूल- II को किया गया भुगतान	-65.57	2.29
सीएमएफ से यूडीएफ को देय राशि	-	
उपदान-यूडीएफ से प्राप्त योग्य	-	-
पेंशन फंड ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि	-	-4.56
अंत शेष (क्रेडिट)	**4,620.67**	**4,997.87**
2) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी फंड		
प्रारंभिक शेष	0.80	0.76
जोडे: निधि में जोड़ी गई राशि		
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	0.05	0.04
घटाएं: वर्ष के दौरान फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण		
अंत शेष (क्रेडिट)	**0.85**	**0.80**
3) हितकारी निधि		
प्रारंभिक शेष	0.34	0.70
जोडे: फंड में जोड़ी गई राशि		
कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	0.65	0.93
घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
वर्ष के दौरान संवितरण	-0.12	-1.29
अंत शेष (क्रेडिट)	**0.87**	**0.34**
4) कर्मचारी हित निधि		
प्रारंभिक शेष	0.54	0.67

विवरण	31-मार्च-2023 को	31-मार्च-2022 को
वर्ष के दौरान अंशदान		-
निवेश पर अर्जित ब्याज	0.03	0.02
अंत शेष (क्रेडिट)	**0.57**	**0.54**
5) सिविल कार्य रख-रखाव निधि-आवास योजना 2010 से आगे		-
प्रारंभिक शेष	731.22	684.00
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि		-
आबंटितियों से प्राप्त अंशदान	19.65	14.02
निवेश पर ब्याज	34.80	30.34
निवेश की खरीद पर छूट		-
नजूल II से प्राप्त राशि	-0.93	-3.69
घटाएं : निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		-
ओ.टी.एम. से संग्रहित धन वापसी (रिफंड)	-	-
घटाएं : एस्क्रो अकाउंट में अंतरण निधि		-
पेंशन निधि ट्रस्ट संवितरण से प्राप्य राशि	-	-
ईएफएम से प्राप्त राशि	-	6.55
वर्ष के दौरान संवितरण		**-**
अंत शेष (क्रेडिट)	**784.74**	**731.22**
6) विद्युत कार्य रखरखाव निधि-आवास योजना-2014 से आगे		-
प्रारंभिक शेष	103.61	101.79
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि		-
आबंटितियों से प्राप्त अंशदान	8.53	3.90
निवेश पर ब्याज	5.24	4.18
घटाएं : नजूल II को देय	-	0.29
घटाएं : सीएमएफ को देय राशि	-	-6.55
घटाएं : निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	-
घटाएं :एस्क्रो अकाउंट में अंतरण निधि		-
वर्ष के दौरान संवितरण		**-**
अंत शेष (क्रेडिट)	**117.38**	**103.61**
7) यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि		
प्रारंभिक शेष	7.20	6.86
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि		
ब्याज आय	0.35	0.34
घटाएं : निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
पूर्व अवधि व्यय		
अंत शेष (क्रेडिट)	**7.55**	**7.20**

विवरण	31-मार्च-2023 को	31-मार्च-2022 को
8) विशेष विकास निधि		
प्रारंभिक शेष	35.34	9.13
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि	69.29	21.93
जोड़े : ब्याज आय	1.47	
जोड़े : बचत ब्याज	0.30	0.30
घटाएं : व्यय	-0.19	-2.73
घटाएं : नजूल - II को किया गया भुगतान	**-21.32**	**6.70**
अंत शेष (क्रेडिट)	**84.89**	**35.34**
9) ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	323.78	303.58
आरक्षित और अधिशेष से अंतरित राशि	185.00	
घटाएं : उपयोग/वसूली योग्य		
नजूल- II से देय राशि	5.46	4.05
नजूल- II से प्राप्य राशि		
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्य राशि	-	-
ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित आय एवं व्यय		
आय	227.64	320.92
व्यय	**-208.40**	**-304.76**
पूर्व अवधि व्यय से अंतरित राशि	**-71.35**	
अंत शेष (क्रेडिट)	**462.13**	**323.78**
कुल योग	**6,079.66**	**6,200.71**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-सी

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	31-मार्च-2023 को	31-मार्च-2022 को
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
क. चालू देयताएं		
विविध लेनदार		
- व्यय के लिए	76.68	108.12
- भूमि के लिए	3.82	127.23
नजूल-II को देय	9,623.64	8914.56
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट को देय	303.43	234.13
उपदान ट्रस्ट को देय	-	18.07
पैंशन निधि ट्रस्ट को देय	1,807.23	1520.92
ख. अन्य देयताएँ		
उचंत खाता	13.26	13.19
अन्य देयताएँ	20.92	20.92
जमा एवं प्रतिधारण	378.99	462.46
बयाना जमा राशि/पंजीकरण राशि (आवासीय एवं व्यावसायिक)	24.97	24.97
दि.वि.प्रा. की विभिन्न आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम	410.15	591.85
आबंटितियों से अग्रिम-एमओआर भूमि	9.06	0.62
शाखा/डिवीजन	-	-
ग. प्रावधान		
जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	11.88	10.81
घ. सांविधिक देयताएँ		
अतिदेय	-	-
अन्य	94.74	82.65
कुल	**12,778.79**	**12,130.49**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-डी

(राशि करोड़ रुपये में)

PARTICULARS	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	01.04.2022 को सकल लागत	परिवर्धन	पूर्व अवधि	बिक्री/ समायोजन	31.03.2023 को कुल योग	31.03.2022 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	बिक्री	पूर्व अवधि समायोजन	31.03.2023 तक	31.03.2023 को डब्ल्यू. डी.वी.	31.03.2022 को डब्ल्यू. डी.वी.
भूमि	24.72	-			24.72	-	-			-	24.72	24.72
कार्यालय भवन, स्टोर एवं गोदाम	48.88	3.97			52.85	39.60	1.27			40.87	11.98	9.28
किराये पर दी गई सम्पत्तियाँ	44.65	-			44.65	39.79	0.49			40.28	4.37	4.86
समाज सदन/ पिकनिक हट / पर्यटन परिसर	50.19	-			50.19	28.32	2.19			30.51	19.68	21.87
स्टाफ क्वार्टर	127.46	-			127.46	48.60	3.94			52.55	74.91	78.86
मोटर वाहन	5.64	-	-	0.69	4.95	5.45	0.18	-0.94	-	4.69	0.95	1.26
ऑफिस फर्नीचर एवं फिटिंग	14.45	0.52			14.97	9.01	0.57		0.01	9.56	5.40	5.45
अन्य कार्यालय उपस्कर	5.22	0.05			5.26	4.20	0.16			4.35	0.91	1.02
विद्युत स्थापन एवं उपस्कर	15.34	0.17			15.51	9.61	0.88			10.49	5.03	5.74
संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य उपस्कर	0.40	7.65			8.06	0.39	1.15			1.54	6.52	0.01
प्रिंटिंग प्रेस उपस्कर	1.42	-			1.42	1.28	0.02			1.30	0.12	0.14
कम्प्यूटर	52.62	7.07		-	59.69	45.40	4.95			50.35	9.34	7.22
योग	**391.00**	**19.42**	**-**	**0.69**	**409.74**	**231.66**	**15.79**	**-0.94**	**0.01**	**246.49**	**163.93**	**160.44**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-ई

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
निर्धारित/अक्षय निधियों की परिसम्पतियाँ				
सरकारी प्रतिभूतियाँ				
(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
सामान्य भविष्य निधि				
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ				
सिविल कार्य रखरखाव निधि	513.10		493.23	
शहरी विकास निधि	3,111.12		3,363.89	
विद्युत रखरखाव निधि	15.11		71.88	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	32.52		33.51	
सामान्य भविष्य निधि	-	3,671.85	-	3,962.51
ऋण पत्र एवं बॉण्ड	-	-	-	-
सामान्य भविष्य निधि				
म्युचुअल फण्ड				
सामान्य भविष्य निधि				
सांवधिक जमा राशियों में				
शहरी विकास निधि	1,226.00		1,337.78	
सिविल कार्य रखरखाव निधि	166.19		125.97	
ध्वनि प्रदूषण जमा	0.57		0.57	
विद्युत कार्य रखरखाव निधि	31.16		9.95	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	7.03		6.70	
एसडीएफ-विशेष विकास निधि	36.80		-	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	1.43		1.36	
कर्मचारी हितकारी निधि	0.33		0.32	
		1,469.51		1,482.65
बचत बैंक खातों में				
शहरी विकास निधि	8.32		2.38	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	5.47		50.24	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.01		0.01	
सिविल कार्य रखरखाव निधि	15.54		26.53	
विद्युत कार्य रखरखाव निधि	60.20		16.46	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.28		0.28	
विशेष विकास निधि	13.01		28.23	

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		102.84		124.13
निवेश पर उपार्जित ब्याज				
शहरी विकास निधि	83.34		67.31	
सिविल कार्य रखरखाव निधि	14.34		12.26	
विद्युत कार्य रखरखाव निधि	1.69		0.74	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.02		0.01	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.27		0.25	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	0.17		0.17	
आकस्मिक निधि	-		-	-
कर्मचारी हितकारी निधि	0.01		-	
विशेष विकास निधि	1.47	101.31	-	80.74
विशेष जमा				
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास				
शहरी विकास निधि (यूडीएफ)	-	-	-	-
अन्य परिसंपत्तियाँ - ई.डब्ल्यू.एस. हाउसिंग रिजर्व				
1. वस्तु सूचियाँ				
प्रगतिधीन - निर्माणाधीन आवास	1,360.57		1,753.58	
तैयार स्टॉक- निर्मित आवास	821.33		1,000.09	
2. ठेकेदार को अग्रिम	0.00		25.66	
		2,181.90		2,779.34
कुल		**7,527.41**		**8,429.41**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-एफ

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
क. वर्तमान परिसम्पतियाँ				
1. माल सूची				
भण्डार गृह	5.16		5.16	
भूमि- अविकसित भूमि	19.05		19.07	
प्रगतिधीन कार्य			-	
भूमि - विकासाधीन	1.32		1.32	
आवास - निर्माणाधीन	10,900.05		9,323.95	
व्यावसायिक संपदा- निर्माणाधीन	14.87		14.86	
तैयार स्टॉक -			-	
विकसित भूमि	107.99		107.99	
आवास - निर्मित (तैयार स्टॉक- आवास)	4,405.34		4,854.17	
व्यावसायिक संपदा - निर्मित	531.25		531.28	
सी डब्ल्यू जी फ्लैट- (आबंटितियों से फर्नीचर आदि के संबंध में कुल वसूलियां)	**156.31**	**16,141.33**	**196.28**	**15,054.08**
2. विविध देनदार		**540.47**		**479.59**
3. नकद और बैंक शेष -				
उपलब्ध नकद राशि	0.00		0.00	
बैंक में शेष राशि-अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
बचत बैंक खातों में	791.48		1,273.73	
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	11.84		4.45	
घटायें: निम्नलिखित लेनदेन से संबंधित शेष राशि			-	
नजूल- I	-9.11		-6.44	
नजूल- II	-519.39		-850.19	
विशेष जमा नजूल-II	-		-	
जमा खाते में- सामान्य निवेश	**3.50**	**278.32**	**0.17**	**421.72**
4. बीमा कम्पनियों में निवेश	0.30	**0.30**	0.30	**0.30**
5. आरक्षित निधि निवेश एवं बैंक शेष				
आकस्मिक आरक्षित निधि				
बैंक शेष		**2.68**		**14.50**
बैंक में सावधि जमा	365.74		256.59	
सरकारी प्रतिभूतियां	1,070.03	**1,435.77**	1,134.63	**1,391.22**

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. ऋण				
(क) स्टाफ	6.19		5.31	
(ख) भावी किराया खरीद किश्तें	132.19		93.04	
घटायें :भविष्य का ब्याज	-58.45		-39.54	
	73.74	**79.93**	53.50	**58.81**
2. नकद में या किसी वस्तु के रूप में या प्राप्त/समायोजित किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली जाने योग्य अग्रिम राशि				
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	5.92		174.62	
जमा कार्य	158.33		144.54	
वसूली योग्य इनपुट वैट	0.10		0.10	
वापसी योग्य वैट	-		-	
प्राप्त होने योग्य आयकर वापसी	62.42		58.03	
छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट से वसूली योग्य	40.45		57.75	
उपदान निधि ट्रस्ट से वसूली योग्य	5.41		-	
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से वसूली योग्य	243.55		159.57	
आयकर प्राधिकारी के पास जमा	88.18		15.18	
नजूल- I से वसूली योग्य	435.04		409.17	
सेवा कर प्राधिकरण	33.870		33.86	
निगम कर प्राधिकरण से अग्रिम	195.86		195.86	
अन्य विविध अग्रिम/वसूली योग्य राशि	68.94	**1,338.08**	47.97	**1,296.65**
3. सामान्य निवेश पर उपार्जित ब्याज		-		-
4. आरक्षित निधि निवेश पर उपार्जित ब्याज		28.58		23.47
5. बचत बैंक ब्याज पर उपार्जित ब्याज		3.04		3.04
6. ठेकेदार अग्रिम पर उपार्जित ब्याज		9.03		16.84
कुल		**19,857.52**		**18,760.17**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता

वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ रु में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
अनुसूची- जी				
बिक्री / सेवाओं से आय				
भूमि की बिक्री से प्रीमियम		139.48		2.59
आवासों की बिक्री				
ई.डब्ल्यू.एस.	187.82		3.96	
अन्य	636.92	824.75	748.14	752.10
दुकानों की बिक्री		1.87		2.81
लाइसेंस शुल्क		50.59		44.29
किराया खरीद किश्तों पर ब्याज		20.24		1.61
कुल		**1,036.92**		**803.40**
अनुसूची- एच				
निवेश एवं बचत बैंक खातों से आय				
सामान्य निवेश से आय		-		-
बचत बैंक ब्याज-जीडीए		6.51		6.47
ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि		1.91		7.36
आकस्मिक आरक्षित निधि		76.43		73.40
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार		0.07		0.07
विशेष विकास निधि	1.47			
सिविल कार्य रखरखाव निधि	34.80		30.34	
शहरी विकास निधि	251.70		253.21	
सामान्य भविष्य निधि	-		-	
विद्युत कार्य रख-रखाव निधि	5.24		4.18	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.35		0.34	
कर्मचारी हित लाभ निधि	0.03		0.02	
कुल	**293.59**		**288.10**	
घटाएँ : निर्धारित निधि में अंतरण	-293.59	-	-288.10	-
कुल		**84.92**		**87.30**

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
अनुसूची - आई				
भू-भाटक		2.64		2.17
सेवा प्रभार		0.00		1.28
भवन नक्शा शुल्क		0.00		0.00
कमी और बहाली शुल्क		0.00		0.21
अन्य आवास प्राप्तियाँ		43.33		28.42
नजूल - I से ब्याज आय		14.38		10.52
अन्य राजस्व		141.03		113.08
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		0.03		-
कुल		**201.41**		**155.67**
अनुसूची - जे.1				
स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्यों में वृद्धि ई.डब्ल्यू.एस.				
अंतशेष - स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्य				
प्रगतिधीन निर्माण कार्य-				
आवास-निर्माणाधीन	1360.57		1753.58	
तैयार स्टॉक -				
आवास-निर्मित	821.33	2,181.90	1000.10	2,753.68
आरंभिक - स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्य				
प्रगतिधीन निर्माण कार्य -				
आवास-निर्माणाधीन	1753.58		1443.65	
घटाएँ : पूर्व अवधि समायोजन	-609.69			
तैयार स्टॉक				
आवास-निर्मित	1000.10	2,144	1000.42	2,444.07
स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्य में वृद्धि/(कमी)		**37.91**		**309.61**
अनुसूची - जे.2				
स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्यों में वृद्धि				
अंतशेष - स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्य				
भण्डार	5.16		5.16	
स्टॉक इन ट्रेड				
भूमि-अविकसित भूमि	19.05		19.07	
प्रगतिधीन निर्माण कार्य				

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
भूमि-विकासाधीन	1.32		1.32	
आवास-निर्माणाधीन	10,900.05		9323.95	
व्यावसायिक संपदा- निर्माणाधीन	14.87		14.86	
तैयार स्टॉक-				
विकसित भूमि	107.99		107.99	
आवास-निर्मित	4,405.34		4854.17	
व्यावसायिक संपदा-निर्मित	531.25		531.28	
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट	156.31	16,141.33	196.22	15,054.02
आरंभिक - स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्य				
भण्डार	5.16		5.16	
स्टॉक इन ट्रेड	-		-	
भूमि-अविकसित भूमि	19.07		19.07	
प्रगतिधीन निर्माण कार्य-	-		0.00	
भूमि-विकासाधीन	1.32		1.32	
आवास- निर्माणाधीन	9,323.95		7731.68	
व्यावसायिक संपदा-निर्माणाधीन	14.86		14.65	
तैयार स्टॉक-	-		0.00	
विकसित भूमि	107.99		107.99	
आवास - निर्मित	4,854.17		5286.02	
व्यावसायिक संपदा- निर्मित	531.28		505.36	
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट	196.22	15,054.02	312.59	13,983.83
स्टॉक एवं प्रगतिधीन निर्माण कार्य की प्रगति में वृद्धि/ (कमी)		**1,087.31**		**1,070.18**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

GENERAL DEVELOPMENT ACCOUNT

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

(Amount INR in Crores)

PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023		FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022	
SCHEDULE - K				
ESTABLISHMENT				
Pay & Allowances	381.90		358.45	
Travel & Conveyance	3.71		1.42	
Medical Expenses	12.05		14.63	
Exgratia	1.54		2.59	
Employer Contribution to Gratuity Fun	6.52		6.74	
Employer Contribution to Pension Fund	676.31		529.84	
leave encashment disbursement	-		-	
Contribution to Post Retirement Medical	115.30		116.52	
Contribution to Leave Encashment Fund	17.36		22.64	
Contribution to Benevolent Fund	0.33		-	
Contribution to New Pension Scheme	38.80		13.10	
Staff Welfare	1.37		1.43	
ADMINISTRATION				
Fees & Honorarium	7.78		12.67	
Entertainment	0.54		0.52	
Law Charges	5.74		3.43	
Vehicle Running & Maintenance	5.89		4.71	
Repairs & Maintenance Others	3.17		9.23	
Printing, Stationery & Advertisement	7.98		10.86	
Rates & Taxes	6.81		6.20	
Telephones	4.34		1.38	
Loss on Sale of Fixed assets	-		-	
Interest on Registration Money	1.07		1.07	
Audit Fees	0.20		0.20	
Other Miscellaneous Expenses	20.3	1,319.03	3.93	1,121.56

PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023		FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022	
Less: Recoveries from Works & Other Acc	-		-	
Works	-217.39		-145.94	
Delhi Master Plan	-1.10		-0.57	
Nazul I	-9.91		-3.03	
Nazul II	-749.12	-977.52	-535.79	-685.33
Total		**341.51**		**436.23**
SCHEDULE-L				
PRIOR PERIOD & EXTRAORDINARY ITEMS				
A) PRIOR PERIOD ITEMS:				
PRIOR PERIOD INCOME				
1) Houses - Built Up	-609.69		**-**	
2) Work in Progress- Houses and Com	-		**-**	
3) Sale of Houses	-		**-**	
4) Interest from Nazul I	-		**-**	
5) Others	3.43	-606.26	-6.28	-6.58
Less:-PRIOR PERIOD EXPENSE				
1) Houses - Built Up - EWS	538.34		-	
2) Interest to Nazul II	-			
3) Others	-0.61	537.73		**-**
TOTAL		**-68.53**		**-6.58**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य वकिास खाता
वित्तीय ववरिण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची एम

(राशि करोड़ रुपये में)

विभाग	नकद	चैक जारी किए गए परंतु 31.03.2023 तक बैंक में डेबिट नहीं किए गए- कैश नहीं किए गए चैक	चैक प्राप्त हुए और प्राधिकरण द्वारा हिसाब में रख दिए गए परंतु बैंक द्वारा 31.03.2023 तक क्रेडिट नहीं किए गए।	बैंक द्वारा डेबिट कर दिया गया परंतु 31.03.2023 को कैश बुक में नहीं रखा गया।	बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया गया परंतु 31.03.2023 को कैश बुक में नहीं रखा गया।	(+) कैश बुक के अनुसार 31.03.2023 को शेष राशि	31.03.2023 को बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि
केन्द्रीय लेखा इकाई पूर्वी जोन	0.00	12.79	0.00	0.04	0.03	27.90	40.67
केन्द्रीय लेखा इकाई द्वारका	0.00	9.93	0.06	6.25	4.10	25.79	33.52
केन्द्रीय लेखा इकाई रोहिणी	0.00	21.29	24.70	1.49	28.33	15.60	39.04
केन्द्रीय लेखा इकाई उत्तरी जोन	0.00	1.72	1.20	0.18	0.45	6.84	7.63
केन्द्रीय लेखा इकाई दक्षिणी जोन	0.00	2.22	0.02	0.15	1.11	5.96	9.12
केन्द्रीय लेखा इकाई राष्ट्रमण्डल खेल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लेखाधिकारी खेल	0.00	2.82	0.52	0.00	2.33	8.60	13.23
पी.ए.ओ. इंजी.	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	2.26	2.24
केन्द्रीय लेखा इकाई एम.पी.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी (यूटीपैक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
लेखाधिकारी (चिकित्सा)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.85	0.86
रोकड़ (आवास)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	107.29	107.26
कर्मचारी हितकारी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
रोकड़ (मुख्य)	0.00	8.84	25.19	35.05	87.51	576.65	612.76
सी पी एम- II	0.00	5.14	0.00	0.00	0.11	9.66	14.91
परियोजना	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	3.74	5.31
निर्धारित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामान्य भविष्य निधि	0.00	2.45	0.14	8.92	2.44	114.71	110.55
शहरी विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.61	0.19	8.32	7.89
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68
ई.डब्ल्यू.एस. निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47
उपदान	0.00	0.12	0.00	0.01	0.00	11.84	11.96
पेंशन	0.00	46.46	0.00	0.02	0.00	99.71	146.16
पी.आर.एम.एस.	0.00	0.43	0.00	1.11	0.52	49.42	49.25
यमुना प्रदूषण जुर्माना खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.29
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
छुट्टी नकदीकरण निधि	0.00	0.71	0.00	1.65	0.39	9.15	8.59
सिविल रखरखाव निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54
विद्युत रखरखाव निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20	60.20
विशेष विकास निधि	0.00	0.05	0.06	0.00	0.13	13.01	13.12
कुल	**0.00**	**116.57**	**51.91**	**55.54**	**127.63**	**1181.82**	**1,318.57**
ट्रांजिट में प्रेषित धन						**49.37**	

नकद	0.00
कैश बुक के अनुसार बैंक शेष	1,181.82
ट्रांजटि में प्रेषति धन	49.37
कुल	**1,231.19**
घटाएं:	
नजूल I	9.11
नजूल II	519.39
पेंशन	129.71
उपदान	11.84
छुट्टी नकदीकरण	14.12
पीआरएमबी	49.42
जीपीएफ	117.27
अंतः शेष	**380.33**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वार्षिक लेखा 2022-23
अनुसूची- एन
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1) प्रस्तुतिकरण का आधार

प्राधिकरण के खाते तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष का पृथक लेखांकन महत्व होता है। कानूनों, विनियमों अथवा अन्य प्रतिबंधों के अनुसार विशिष्ट कार्यकलापों को चलाने के लिए प्रत्येक लेखा शीर्ष उसके तहत आबंटित सरकारी संसाधनों को दर्शाते हैं।

तीन मुख्य शीर्षों- नजूल-I, नजूल-II और सामान्य विकास खाते के अंतर्गत खातों को तैयार किया जाता है। नजूल-I पुरानी नजूल सम्पदाओं के लेन-देन से संबंधित है, जो नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली सुधार न्यास को सौंपा गया था, जिसे दिल्ली सुधार न्यास के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ले लिया। नजूल-II बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है। सामान्य विकास खाता, प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के खातों से किए जाने वाले सभी विकास, निर्माण और अन्य कार्यकलापों और प्राधिकरण को सौंपे गए अन्य कार्यकलापों से संबंधित है।

2) खाते तैयार करने का आधार

भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हुए पुरानी लागत पद्धति सम्मेलन के तहत लेखांकित प्रोद्धवन आधार पर (अलग से प्रत्यक्ष किए गए के अतिरिक्त) वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान सभी लेन-देन, प्राप्ति और भुगतान के आधार पर दर्ज (रिकार्ड) किए जाते हैं। प्राप्ति योग्य खातों, देय, स्थायी परिसम्पत्तियों, मूल्य-ह्रास आदि के लिए समुचित प्रविष्टियाँ शामिल करके, वर्ष के अंत में खातों को आय एवं व्यय के आधार पर बदला जाता है।

3) अनुमानों का उपयोग

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान लगाने और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

4) वित्तीय विवरण का प्रारूप

सामान्य विकास खाते का वित्तीय विवरण, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किया जाता है। नजूल-I और नजूल-II का वित्तीय विवरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित लेखा-प्रारूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि वह सरकारी खाते के लेन-देन को दर्शाता है।

5) स्थायी परिसंपत्तियाँ

क) स्थायी परिसंपत्तियां लागत में से मूल्यह्रास घटा कर दर्शायी जाती हैं। स्वःनिर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में प्रशासनिक एवं स्थापना प्रभारों का उपयुक्त भाग शामिल होता है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियों में कुछ ऐसे भवन भी शामिल हैं, जो प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित नहीं है, परन्तु इन भवनों का प्रयोग प्राधिकरण के कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है।

ग) कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टरों, स्टोर आदि के लिए प्रयुक्त भूमि का मूल्यांकन ऐसे हस्तांतरण की तारीख को भूमि की निपटान दरों के आधार पर किया जाता है।

6) मूल्यह्रास

मूल्यह्रास, आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर दिया जाता है और यदि किसी परिसंपत्ति का उपयोग, प्राधिकरण के कार्यकलापों हेतु वित्त वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम अवधि के लिए किया जाता है, तब इस प्रकार की परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास से संबंधित कटौती, संबंधित परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी।

7) माल सूचीः

माल सूची का मूल्य निर्धारण कम लागत अथवा निवल वसूली योग्य कीमत पर किया जाता है।

(i) विभिन्न प्रकार की माल-सूची के संबंध में लागत निम्नानुसार परिकलित की जाती हैः-

क) खाली पड़ी भूमिः अधिग्रहण/क्रय लागत पर जिसमें भूमि के अधिग्रहण तथा कब्जा लेने से संबंधित आकस्मिक व्यय और मुआवजा शामिल हैं।

ख) निर्माणाधीन कार्यः प्रत्यक्ष लागत और ऊपरी व्यय के समुचित भाग पर।

ग) तैयार स्टॉकः प्रत्यक्ष लागत और ऊपरी व्ययों के समुचित भाग पर आवासीय स्टॉक सहित निर्मित इकाइयां अधिग्रहण की लागत अथवा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक व्यय पर बाह्य स्रोतों से अधिग्रहीत/खरीदी गई निर्मित इकाइयां बिक्री के लिए विकसित भूमि सहित अन्य स्टॉक के मामले में, अधिग्रहण और विकास की लागत और उस पर आकस्मिक लागत। माल सूची की लागत विशिष्ट पहचान पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ii) निवल वसूली योग्य मूल्य सामान्यतः वह अनुमानित विक्रय मूल्य है, जिसमें से कार्य समापन की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को कम किया जाता है।

8) राजस्व निर्धारण

राजस्व का निर्धारण प्रोद्भवन (एक्रुअल) आधार पर किया जाता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वसूली की अनिश्चितता और राजस्व की मात्रा के कारण अन्यथा उल्लिखित हो।

क) भूमि, बनी हुई/निर्मित इकाइयों जैसे आवासों, कार्यालयों, दुकानों आदि के निपटान से प्राप्त प्रीमियम और बिक्री मूल्य का निर्धारण कब्जा-पत्र जारी करने के लिए पूर्ण प्रोद्भवन (एक्रुअल) पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

ख) किराया खरीद किश्तों में ब्याज की राशि का निर्धारण बकाया मूल भाग के अनुपात में राजस्व के रूप में किया जाता है।

ग) किराये से प्राप्त आय का निर्धारण उस अवधि, जिससे यह आय संबंधित है, के संदर्भ में प्रोद्भवन (एक्रुअल) आधार पर किया जाता है।

घ) भू-भाटक और सेवा प्रभारों की गणना नकद आधार पर आय पर की जाती है। भू-भाटक दिल्ली प्रशासन को देय निवल भाग पर निर्धारित किया जाता है।

ङ) जुर्माना प्रभार, संघटन शुल्क, क्षति और देरी से प्राप्त भुगतान पर ब्याज का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

च) निवेश पर ब्याज का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

छ) आयकर वापसी पर ब्याज का निर्धारण प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

9) भण्डारः

निर्माण कार्य के लिए उपयोग की गयी भण्डार सामग्री को पूर्व-निर्धारित निर्गमन-दरों पर संबंधित निर्माण-

कार्यों से प्रभारित किया जाता है। जारी दर और क्रय मूल्य के अन्तर को विविध व्यय/आय में समायोजित किया जाता है।

10. आबंटितियों को ब्याज/मुआवजे का भुगतान

क) विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त पंजीकरण राशि पर ब्याज उपार्जित आधार पर दिया जाता है।

ख) स्व-वित्त योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को फ्लैटों के पूरा होने एवं आबंटन में देरी के लिए मुआवजे को भुगतान/समायोजन में दर्ज किया जाता है।

11. कमी प्रभार

नगर निगम प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों अथवा निगम को भुगतान किए जाने वाले कमी प्रभार को स्वीकार किए गए प्रभारों के आधार पर परिकलित किया जाता है।

12. नजूल खातों से की गई वसूलियाँ/भुगतान

क. संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागत की वसूली

संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागत को सामान्य विकास खाते में रखा जाता है और नजूल-I एवं नजूल-II खातों से संबंधित व्ययों का समुचित भाग नजूल खातों के अंतर्गत चल रही योजनाओं/परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय/परिव्यय के अनुपात में आबंटित और वसूल किया जाता है।

ख. नजूल-II भूमि संबंधी योजनाओं हेतु भूमि प्रीमियम (लैंड प्रीमिया)

सामान्य विकास खाते के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए प्रयुक्त नजूल-II भूमि के संबंध में भूमि प्रीमियम को व्यय के रूप में परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि को लागू नजूल नियमों के अंतर्गत पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) पर भूमि लागत के लिए आस्थगित देयता खाते में क्रेडिट करके किया जाता है। यह आस्थगित देयता, वर्ष के अंत में लागू प्रचलित पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) के आधार पर परियोजना के पूरा होने तक अद्यतन की जा रही है। आस्थगित देयता खाते को परियोजना के कार्य समापन पर नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित उस समय के पूर्व निर्धारित दरों पर नजूल-II खाते में अंतरित किया जा रहा है।

ग. नजूल सम्पत्तियों के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/ सेवा प्रभार

नजूल सम्पत्तियों जैसे स्टाफ क्वार्टर आदि के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/सेवा प्रभार को लागू नियमों के अनुसार ऐसी सरकारी अधिसूचित दरों पर नजूल खाते में क्रेडिट करके दर्ज किया जाता है।

13. क्षतिपूर्ति/माध्यस्थम अवार्ड

अधिग्रहीत भूमि के संबंध में दी गई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान और माध्यस्थम अवार्ड को भुगतान-आधार पर दर्ज किया जाता है।

14. विनिर्दिष्ट देयताओं/निधियों के लिए वसूलियाँ

विनिर्दिष्ट देयताओं/निधियों जैसे-शेयर राशि, अग्नि जोखिम बीमा इत्यादि के अंतर्गत वसूलियों को उस उद्देश्य के लिए बनाए गए पृथक देयता/आरक्षित खाते में अलग से जमा किया जाता है और उसके अंतर्गत किए गए व्यय और भुगतान को देयता/आरक्षित खाते में डेबिट करके रिकार्ड किया जाता है।

15. कर्मचारी योजनाएँ और सेवा-निवृत्ति लाभ

क. सामान्य भविष्य निधि योजना के संबंध में कर्मचारियों के अंशदान को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उस अंशदान को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

किया जाता है। संचित अंशदान, भुगतान, अग्रिम और निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को निधि शेष में समायोजित किया जाता है।

ख. ग्रेच्युटी और पेंशन के रुप में अंशदान की गयी राशि का वर्ष के अंत में बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान को पूरा करने के लिए किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट और दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ फंड ट्रस्ट के पृथक वित्तीय विवरण तैयार कर लिए गए हैं। अनुमोदित प्रतिभूतियों में संबंधित ट्रस्ट फंड से निवेश किया जाता है। पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का भुगतान तथा फंड के निवेशों पर अर्जित ब्याज का समायोजन संबंधित ट्रस्ट फंड खातों (अकाउंट्स) में किया जाता है।

16. निर्धारित निधि

प्राधिकरण को सौंपी गयी निधि अथवा अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि अथवा प्राधिकरण द्वारा रखी गयी राशियों का विशिष्ट अथवा निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और पृथक शीर्षों में उनका लेखा-जोखा रखा जाता है तथा इस राशि के व्यय/उपयोग को उक्त खाते में समायोजित किया जाता है। निर्धारित निधियों से संबंधित निवेश अंकित मुल्य पर किए जाते हैं। दि.वि.प्रा. द्वारा सामान्य विकास खाते के भाग के रूप में प्रबंधित विभिन्न निधियां निम्नानुसार हैः-

क. शहरी विकास निधिः

प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित शहरी विकास फंड का अभिरक्षक है और यह फंड प्राधिकरण से संबंधित नहीं होता तथा फंड से किसी भी प्रकार के ऋण/अनुदान शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वितरित किए जाते हैं। सम्पत्तियों को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने पर वसूल किए गए प्रभारों को इस खाते में जमा (क्रेडिट) किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, विकास परियोजनाओं हेतु इस फंड से दिए गए ऋणों और अनुदानों को निधि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि लेखा (फंड एकाउन्ट) से दिए गए ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज का निर्धारण किया जाता है और प्राप्ति आधार पर फंड एकाउन्ट में जमा किया जाता है।

ख. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी निधिः

दुर्घटना मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान के लिए कर्मचारियों से वसूली गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है।

ग. सामान्य भविष्य निधिः

फंड के लिए भविष्य निधि अंशदान को इस निधि खाते में रखा जाता है।

घ. हितकारी निधिः

सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों से वसूल की गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है।

ङ. सिविल रख-रखाव कार्य निधि- आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाएँ

इसमें कॉलोनियों के भविष्य में रख-रखाव के लिए आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से वनटाइम (एकबारगी) रख-रखाव प्रभारों की वसूली शामिल है।

च. विद्युत कार्य रख-रखाव निधिः आवासीय योजना-2014 से आगे की योजनाएं:

इसमें आवासीय योजना-2014 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से भविष्य में कॉलोनियों में होने वाले

विद्युत रख-रखाव के लिए वसूले गए वन टाइम (एक बारगी) विद्युत कार्य रख-रखाव प्रभार शामिल हैं।

छ. यमुना प्रदूषण जुर्माना निधिः

इसमें यमुना नदी में अथवा इसके किनारे पर कूड़ा डालने के लिए जुर्माने और मुआवजे द्वारा जमा की गई राशि शामिल है जिसका उपयोग माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भविष्य में यमुना नदी की सफाई हेतु परियोजनाओं के निष्पादन में किया जाता है।

ज. ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि

इस निधि में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार रखे गए अधिशेष को रखा जाता है जिसका उपयोग आर्थिक रुप से कमजोर आय वर्ग के लिए आवासों के निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

17. विशेष आरक्षी निधियाँ

क. आवास अग्नि जोखिम आरक्षित निधि

इस निधि में किराया-खरीद आधार वाली सम्पत्तियों के मामले में सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि अथवा क्षति को पूरा करने के लिए आबंटितियों से वसूल किया गया विशेष प्रभार रखा जाता है।

ख. आकस्मिक आरक्षी निधि

इस निधि में, भावी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए राशि रखी जाती है।

18. निवेश एवं ब्याज आधारित आय

निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर आंका जाता है। ब्याज आधारित आय को प्रोद्भूत आधार पर माना जाता है।

19. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन ने बैलेंस शीट की तिथि पर यह आकलन किया है कि क्या किसी परिसंपत्ति की क्षति के संबंध में कोई संकेत है। ऐसे आकलन के आधार पर यह अभिनिश्चित किया गया है कि कोई भी संभावित हानि मौजूद नहीं है और इसलिए, वसूली-योग्य राशि का औपचारिक अनुमान नहीं लगाया गया है। तद्नुसार, लेखा पुस्तकों में कोई क्षति हानि का प्रावधान नहीं किया गया है।

20. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान तब मान्य होता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी एवं जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को बैलेंस शीट की तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है एवं उनमें वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक देयताएँ प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों वित्तीय विवरण में न तो मान्य होती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वार्षिक लेखा 2022-23
अनुसूची 'ओ'
लेखा पर टिप्पणियाँ

1. प्रमुख पूंजीगत संविदाओं के संबंध में वर्ष के अंत में, असमाप्त पूंजीगत प्रतिबद्धता शून्य (पिछले वर्ष-1.17 करोड़ रुपये)।

2. आकस्मिक देयताएं:

क. 3382.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3915.56 करोड़ रुपये) तक के ऋण संबंधी मामले न्यायालयों में लंबित होने के कारण दि.वि.प्रा. के विरुद्ध दावे स्वीकृत नहीं हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31-मार्च-2023 तक सामान्य विकास लेखा (जी.डी.ए.) में दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 4855 न्यायिक मामले हैं और नजूल-I एवं नजूल-II में 16088 न्यायिक मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, इस संबंध में आकस्मिक देयताएं निश्चित नहीं है।

ख. प्राधिकरण को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 12-जनवरी-2006 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से पूर्व प्रभाव सहित, "धर्मार्थ संस्थान" के रूप में मान्यता दी गई है, जो सार्वजनिक सेवाओं में रहते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट के हकदार हैं। तथापि, कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2017-18 के लिए आकलन में, इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आकलन अधिकारी ने छूट के लाभ की अनुमति नहीं दी है और प्रबंधन की राय में प्राधिकरण की आय पर कर लगाया, हालांकि आयकर विधि में छूट के लिए प्राधिकरण उपर्युक्त धारा में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है। दि.वि.प्रा. ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अंतर्गत आयकर छूट की अधिसूचना के लिए एक आवेदन दिया, जिसका परिणाम 31-मार्च-2023 से लंबित है।

उक्त आकलन वर्षों में कुल कर मांग 3111.73 करोड़ रुपये है, जो आयकर अपील अधिकरण (आकलन वर्ष 2003-04 और 2005-06 से 2015-16 के लिए) और आयुक्त (अपील) (आकलन वर्ष 2016-17 और 2017-18) के समक्ष अपील दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त समय सीमा (टाइम लिमिट) के मामले पर आकलन वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लिए विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई। इन याचिकाओं को स्वीकृति दी गई और इसका निपटान अभी लंबित है।

विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2003-04 से 2013-14, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए आयकर मामलों के विवाद समाधान का विकल्प चुनने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान इन आकलन वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा फॉर्म-3 जारी किया गया है और तदनुसार, इन आकलन वर्ष के लिए 2102.56 करोड़ की जमा राशि को लेखा बही में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आकलन वर्ष 2003-04 से 2010-11 के लिए आय कर विभाग द्वारा फॉर्म 5 जारी किया गया। आकलन वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए, आयकर विभाग द्वारा रिफ़ंड समायोजन का मामला उठाया गया है । वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान 73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए 18 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 45 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 10 करोड़ रुपये)

इसके अतिरिक्त, व्यय के कुछ हिस्सों को अनुमति न देकर 2003-04 से 2010-11 के आकलन वर्षों के लिए आकलन में 296.83 करोड़ रुपये की मांग उठाई गई। जिसे आयुक्त (अपील) के अपीलीय आदेश में खारिज कर दिया गया। तथापि, इन विलोपनो (डिलिशन) के विरूद्ध आयकर विभाग ने माननीय आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की है। कथित इन्कम टैक्स अपील का दिनांक 10-03-2002 के आदेश द्वारा नए सिरे से आकलन कार्यवाही के निदेश के साथ निपटान किया जा चुका है।

ग. आयकर पोर्टल के ट्रेसिस पर टी.डी.एस. की चूक के कारण 0.20 करोड़ रु. की मांग दर्शायी गई है, जो विभाग के साथ समाशोधन की प्रक्रिया में है। चूंकि, प्रबंधन की राय में दि.वि.प्रा. की देयता के बारे में कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला गया है, इसलिए इसके बारे में लेखा बही में किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

घ. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) ने अपनी तरफ से और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.) एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) की तरफ से 319 सम्पत्तियों के संबंध में दिनांक 31-मार्च-2004 तक और 24 खेल परिसरों के संबंध में 31-मार्च-2013 तक सम्पत्ति कर एवं ब्याज के रूप में 746.05 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दिनांक 10-जनवरी-2013 को अभिहरण अधिपत्र (डिस्ट्रैस वारंट) जारी किए थे। बाद में उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी उक्त 746.05 करोड़ रूपये की देय राशि में से अपने भाग के रूप में क्रमशः 272.16 करोड़ रूपये और 110.28 करोड़ रूपये वसूल करने के लिए दिनांक 22-मार्च-2013 और 25-मार्च-2013 को अलग-अलग अभिहरण अधिपत्र जारी किए गए। तीनों निगमों द्वारा प्राधिकरण के बैंक खातों की कुर्की द्वारा कुल 197.85 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई है। अन्य सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर के रूप में बाद में 53.75 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। चूँकि, नगर निगम दि.वि.प्रा. के इस दावे से सहमत नहीं हुए, प्राधिकरण द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दाखिल की गई जिन्होंने सभी मांगों को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय के निदेशों के अनुसार प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास 50.00 करोड़ रुपए की बैंक प्रतिभूति जमा की है। यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, एनडीएमसी ने अभिहरण अधिपत्र लागू करके एवं दि.वि.प्रा. के बैंक खाते को फ्रीज करके दिसम्बर, 2019 में अवैध रूप से 16.96 करोड़ रुपये वसूल किए। इस मामले को माननीय राज्यपाल के संज्ञान में इस अनुरोध के साथ लाया गया कि वे आयुक्त एनडीएमसी के लिए इस मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

उपर्युक्त मांग विवादित है और दि.वि.प्रा. द्वारा इसे ऋण के रूप में माना नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) के निदेशों के अनुसार, दि.वि.प्रा. ने संपत्ति कर और सेवा प्रभारों के रूप में दि.न.नि. को 26.70 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया, इस राशि में दि.वि. प्रा. द्वारा निर्मित संपत्तियों पर 5.36 करोड़ रुपये शामिल हैं और यह राशि 2004 से 2016 तक की अवधि के लिए जी.डी.ए. से संबंधित है तथा इसमें वर्ष 2015-16 के लिए नजूल-II की खाली पड़ी भूमि पर 21.34 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस राशि को संबंधित खातों में प्रभारित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान एसडीएमसी, एनडीएमसी और ईडीएमसी ने वर्ष 2015-16 से आगे के लिए क्रमश: 30.68 करोड़ रूपये, 159.41 करोड़ रूपये और 29.45 करोड़ रूपये की मांग की है। उपर्युक्त मांगों के संबंध में मिलान का कार्य प्रक्रियाधीन है और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अंतर राशि के कारण 20.78 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

चालू वर्ष के लिए भुगतान में नजूल खाता की खाली पड़ी भूमि पर 19.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 31.80 करोड़ रुपये) जिसमें 18.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 29.96 करोड़ रुपये) और दि.वि.प्रा. निर्मित सम्पत्तियों पर 1.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.84 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इस राशि को संबंधित खातों में प्रभारित किया जाता है।

ङ. संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय ने दिनांक 29-अप्रैल-2013 के अपने नोटिस द्वारा सी.ए.जी. द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर दि.वि.प्रा. में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर लिए गए श्रम उपकर के रूप में 01-जनवरी-1996 से 31-मार्च-2013 तक की अवधि से संबंधित 25.34 करोड़ रुपये की राशि की माँग की है। दि.वि.प्रा. ने उक्त मांग के प्रति लिखित याचिका दायर की है जिस पर संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष निर्णय लंबित है। इस वर्ष के दौरान, मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तद्नुसार, खातों में इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

च. आयुक्त, सेवा कर, दिल्ली ने दिनांक 30-अप्रैल-2013 के अपने आदेश द्वारा निर्णय दिया और अविकसित एवं विकसित नजूल-II भूमि के निपटान तथा जीडीए, नजूल-I एवं नजूल-II के भू-भाटक पर 01-अप्रैल-2005 से 31-मार्च-2012 तक की अवधि के लिए 949.60 करोड़ रुपये के सेवा कर की माँग की तथा इसे "अचल सम्पत्तियों का किराया" मानते हुए 553.06 करोड़ रुपये के ब्याज की मांग भी की है तथा उस पर 845.95 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राधिकरण ने उक्त आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ट्रिब्यूनल ने अब निरस्त किए गए उक्त आदेशों को एक तरफ कर दिया और आदेश दिनांक 24-अप्रैल-2017 द्वारा एक नए निर्णय के लिए मूल प्राधिकारी से फिर से मांग की है। सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त ने आदेश दिनांक 16-9-2020 द्वारा 731.41 करोड़ रूपये की मांग की और उसी पर 562.11 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने उक्त आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी है और स्थगन के अंतर्गत 10.00 करोड़ रूपये जमा किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आयुक्त सेवा कर, दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 30-सितम्बर-2016 द्वारा वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अविकसित और विकसित नजूल-II भूमि के निपटान और जीडीए, नजूल-I एवं नजूल-II भू-भाटक पर 363.98 करोड़ रु. की और मांग की है जिसे "अचल संपत्तियों का किराया" के रुप में माना गया जिसके विरुद्ध प्राधिकरण ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की है और स्थगन के अंतर्गत वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं।

छ. राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कई संविदाओं के संबंध में अभी तक मुकदमा चल रहा है और ये विभिन्न प्राधिकरणों के अधीन लंबित है। तथापि, किसी प्रकार की वसूली अथवा देयता के स्पष्ट निर्धारण के अभाव में इनके प्रभाव का कोई निश्चित वर्णन नहीं किया गया है।

3. "दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट", "दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट, "दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ फंड ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट" के लिए अलग-अलग वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन ट्रस्ट के अंशदान को दिनांक 31-मार्च-2023 का बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड किया गया है।

4. कर्मचारी हितलाभः

i) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2023 को अपनी उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 255.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 341.47 करोड़ रु.) करवाया है। बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपदान निधि के रूप में अंशदान (-) 6.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-) 6.74 करोड़ रु.) है, जिसमें नजूल-I का अंशदान (-) 0.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-) 0.01 करोड़ रु.) है और नजूल- II का अंशदान (-) 4.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-) 3.68 करोड़ रु. है। नजूल- I एवं नजूल- II का अंशदान उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

ii) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2023 को अपनी पेंशन देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 7939.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7541.97 करोड़ रुपए) करवाया है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेंशन निधि के रूप में अंशदान 676.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 529.84 करोड़ रुपए है), जिसमें नजूल-I का अंशदान 6.76 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.00 करोड़ रुपए) और नजूल-II का अंशदान 459.89 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 289.84 करोड़ रुपए) हैं। नजूल-I एवं नजूल- II का अंशदान उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है.

iii) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2023 को अपनी छुट्टी नकदीकरण देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 156.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 196.53 करोड़ रुपए) करवाया है, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष

2022-23 के लिए छुट्टी नकदीकरण निधि के रूप में अंशदान (-)17.36 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)22.64 करोड़ रुपए) है, जिसमें नजूल-I का अंशदान (-)0.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)0.04 करोड़ रुपए) और नजूल-II का अंशदान (-)11.81 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)11.85 करोड़ रुपए) शामिल है। नजूल- I एवं नजूल- II का अंशदान उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

iv) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2023 तक सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए 801.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 742.58 करोड़ रुपए) की राशि की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022--23 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नियोक्ता का अंशदान 115.30 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 116.52 करोड़ रुपए) दिया गया जिसमें नजूल-I का अंशदान 1.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.22 करोड़ रुपए) और नजूल- II का अंशदान 78.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 63.74 करोड़ रुपए) शामिल है। नजूल- I एवं नजूल- II का अंशदान उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

5. 30 करोड़ रुपए की पैकेज डील के अंतर्गत खरीदी गई भूमि के संबंध में भूमि के ऋणदाता के रूप में पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर.) को देय 3.82 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.82 करोड़ रुपए) शामिल है। भूमि का पूरा कब्जा अभी मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है। इसके अलावा, कुछ भूमि अन्य विभागों के अधिकार में है, यद्यपि मालिकाना हक प्राधिकरण का है। प्राधिकरण को अंतरित की गई भूमि, स्वामित्व अधिकार के संबंध में लेखा बहियों में प्रविष्टियाँ कर दी गई है।

6. आवास और अन्य प्राप्तियों के संबंध में पार्टियों से सही जानकारी न मिलने/वास्तविक चालानों की अनुपलब्धता के कारण और अन्य रसीदों, जिनका समाशोधन किया जाना लंबित है, का उचंत खाता (सस्पेंस अकाउंट) शेष राशि 13.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 13.19 करोड़ रुपये) की क्रेडिट राशि है।

7. वर्ष के दौरान शहरी विकास निधि में से निम्नलिखित को अनुदान दिया गयाः

दिल्ली लोक निर्माण विभाग को शून्य (पिछले वर्ष 109.56 करोड़ रुपये),

दिल्ली जल बोर्ड को शून्य (पिछले वर्ष शून्य),

उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 121.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.25 करोड़ रुपये)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को शून्य (पिछले वर्ष 10.97 करोड़ रुपये)

उत्तर रेलवे को शून्य (पिछले वर्ष 2.07 करोड़ रूपये)

दिल्ली नगर कला आयोग को शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

दि.वि.प्रा. को 568.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 511.52 करोड़ रुपये)

8. आरक्षित निधिः

31-मार्च-2023 को समाप्त हुए वर्ष में आकस्मिक आरक्षित निधि 1518.94 करोड़ रुपये है इसके बदले निधि निवेश 1435.77 करोड़ रुपये और बैंक शेष 2.68 करोड़ रुपये एवं उपार्जित ब्याज 28.58 करोड़ रुपये शामिल है।

9. निर्धारित निधिः

i. 31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि की कुल राशि 4620.67 करोड़ रुपए है और इस निधि में 4428.78 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों में 4337.12 करोड़ रुपये का निवेश, 8.32 करोड़ रुपये का बैंक शेष, 83.34 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है।

ii. 31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. स्टाफ हितलाभ निधि की कुल राशि 0.57 करोड़ रुपए है। इस निधि के लिए परिसंपत्तियां 0.34 करोड़ है, जिसमें 0.33 करोड़ रूपये निवेश एवं उपार्जित ब्याज 0.01 करोड़ रुपये शामिल है।

iii. 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए सिविल कार्य प्रबंधन निधि की कुल राशि 784.74 करोड़ रुपए है और इस निधि के बदले परिसंपत्तियों की कुल राशि 709.17 करोड़ रुपए है, जिसमें 679.29 करोड़ रुपये की निवेश राशि, 15.54 करोड़ रुपए का बैंक शेष और 14.34 करोड़ रुपए की उपार्जित ब्याज राशि शामिल है।

iv. 31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रिकल कार्य रखरखाव निधि हेतु कुल राशि 117.38 करोड़ रुपए है और इस निधि के लिए कुल 108.17 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां है, जिसमें 46.27 करोड़ रुपए का निवेश, 60.20 करोड़ रुपए का बैंक शेष और 1.69 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है।

v. 31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि की कुल राशि 7.55 करोड़ रुपए है और इस निधि के लिए परिसंपत्तियां कुल 7.58 करोड़ रुपए राशि की है, जिनमें 7.03 करोड़ रुपए का निवेश, 0.28 करोड़ रुपये का बैंक शेष और 0.27 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है।

vi. 31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षित शेष 462.13 करोड़ रुपये है, और इस निधि के लिए कुल परिसंपत्तियां 2220.07 करोड़ रुपये है, जिसमें निवेश 32.52 करोड़ रुपये, 5.47 करोड़ रुपये का बैंक शेष, 0.17 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज 2181.90 करोड़ रुपये शामिल है।

vii. 31-मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए विशेष विकास निधि के लिए कुल राशि 84.89 करोड़ रुपए है एवं इस निधि में 51.28 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां है, जिसमें निवेश 36.80 करोड़ रुपये, 13.01 करोड़ रुपये का बैंक शेष, 1.47 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है।

10. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के अनुपालन में, दि.वि.प्रा. ने "डी.डी.ए.- यमुना पॉल्यूशन पेनल्टी एकाउन्ट" के नाम से एक बचत बैंक खाता खोला। यमुना नदी के मुहाने में किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री को डालने पर जुर्माना राशि/मुआवजे की राशि को इस खाते में जमा किया जा रहा है और इस राशि का उपयोग यमुना नदी की साफ-सफाई की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा-अनुसूची-बी देखें।

11. 31-मार्च-2023 को विविध देनदारों के विधिवत समाधान किए गए, पार्टीवार और आयुवार विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, दि.वि.प्रा. ने संपत्ति के फ्री-होल्ड की प्रक्रिया के समय सम्पूर्ण पट्टा-प्रीमियम और ब्याज सहित भूमि का किराया लेना शुरू कर दिया है। अतः प्रबंधन की राय में, कोई संदेहास्पद ऋण नहीं है।

12. नजूल- I (पुरानी नजूल संपदा) और नजूल- II (भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण) संबंधी लेन-देनों को सरकारी खाते में लेन-देन होने के नाते, पृथक शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और दि.वि.प्रा. (बजट एवं लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित प्रारूप में पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया जाता है। उक्त खातों की प्राप्तियों एवं भुगतान की निवल शेष राशि को प्राधिकरण की नकद एवं बैंक शेष राशि में से घटाया जाता है। नजूल खातों के घाटे को प्राधिकरण की निधि से पूरा किया जाता है और इसे अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

13. चालू वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित औसत बैंक दरों पर, शेष बकाया पर नजूल- II को यथा देय चालू वर्ष के लिए 319.45 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

14. चालू वर्ष के दौरान दि.वि.प्रा. ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित औसत बैंक दरों पर, शेष बकाया पर नजूल- I से यथा वसूली योग्य चालू वर्ष के लिए 14.38 करोड़ रुपए की ब्याज आय दर्ज की।

15. i) तैयार माल सूची का मूल्यांकनः वर्ष 2016-17 के दौरान अंतिम रुप से तैयार स्टॉक (बाह्य स्रोतों से अधिग्रहित/क्रय निर्मित इकाइयों के अलावा) की माल सूची के मूल्यांकन से संबंधित लेखाकरण नीति सं. 6 में परिवर्तन किया गया है, जिनकी अब निम्न लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर कीमत निर्धारित की गई है, तब तक हाउसिंग स्टॉक सहित निर्मित इकाइयों एवं अन्य माल सूचियों का मूल्य निर्धारण तैयार स्टॉक की मानक लागत, जिस पर इसे विक्रय करने की आशा की जाती है, पर किया जाता था।

संशोधित नीति को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण दिनांक 01-अप्रैल-2016 तक उपलब्ध

स्टॉकों का पूर्व लेखाकरण नीति के अनुसार ही मूल्य निर्धारण जारी रखा गया है। निर्मित इकाइयों, जिसमें हाउसिंग स्टॉक और विकसित भूमि शामिल है, के अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में यह परिवर्तन आगे 01-अप्रैल-2016 से तैयार आवासीय इकाइयों और विकसित भूमि के लिए लागू किया गया है।

ii) नजूल-II भूमि से संबंधित भूमि प्राशुल्क: वर्ष 2016-17 के दौरान, सामान्य विकास खाते के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए विनियोजित नजूल-II भूमि प्राशुल्क के संबंध में लेखाकरण नीति 11 (बी) में परिवर्तन किया गया है, जो परिवर्तित नीति के अनुसार परियोजना के निर्माण आरंभ होने की तिथि को लागू नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) पर भूमि लागत के लिए आस्थगित देयता खाते में जमा व्यय के रूप में बुक किए जाएंगे। यह आस्थगित देयता लागू प्रचलित पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) के आधार पर वर्ष के अन्त में परियोजना के पूर्ण होने तक अपडेट की जा रही है। यह आस्थगित देयता खाता नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित तत्कालीन पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) पर परियोजना का निर्माण पूरा होने पर नजूल-II लेखा में अंतरित किया जा रहा है तब तक इन्हें नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों पर सम्पत्तियों का निर्माण पूरा होने पर नजूल II लेखा में मूल प्रति दावे व्यय के रूप में जमा सामान्य विकास खाता के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए विनियोजित किया गया। उस वर्ष से, जिसमें स्कीम पूर्ण होती है, भू-प्राशुल्क का भुगतान तीन क्रमिक वार्षिक समान किश्तों में नजूल-II में किया जा रहा है।

विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत प्रगतिधीन कार्य पर संशोधित नीति को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रबंधन ने इस परिवर्तित नीति को आगे 01-अप्रैल-2016 के बाद सौंपी गई स्कीमों पर लागू करने का निर्णय लिया है।

16. प्रगतिधीन कार्य और तैयार आवास सूची का मूल्य वर्ष के अंत में कुल निर्माण लागत पर 15% ऊपरी खर्च को जोड़कर निकाला जाता है। दि.वि.प्रा. द्वारा इसका निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।

17. कुछ निवेश के लिए वर्ष की समाप्ति पर उपार्जित ब्याज से संबंधित कुछ प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता पर ऐसे मामलों में उपार्जित ब्याज की गणना बकाया शेष और ब्याज की शर्तों के आधार पर अनंतिम रूप से की गई है।

18. अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक अंतिम रूप से उपलब्ध भुगतानों में से आदाता द्वारा काटे गए टीडीएस के 26एएस विवरण का लेखा समाधान कर लिया गया है और इसको खाते में शामिल कर लिया गया है।

19. वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों/बॉंड आदि में निवेश की खरीद के समय भुगतान किए गए अपरिशोधित प्राशुल्क/प्राप्त की गई छूट को दिनांक 31.03.2023 को निवेश मूल्य के भाग/समायोजन के रूप में समझा गया है और निवेश की अवधि के बाद परिशोधित किया जाएगा।

20. पिछले साल के आंकड़े को जहाँ आवश्यक हो इस वर्ष के वर्गीकरण के समनुरूप रिग्रुप/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

21. 'ए' से 'ओ' तक की अनुसूची वार्षिक खातों का अभिन्न भाग है।

22. सामान्य विकास खाता, नजूल-I, नजूल-II ''दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट,'' ''दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट'', "दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ ट्रस्ट" के निवेश और बैंक शेष के समेकित विवरण को अनुलग्नक-पी में दर्शाया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वार्षिक लेखा 2022-23
अनुसूची-पी
सामान्य विकास खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	जीडीए, एनए-I, एनए- II एवं ट्रस्ट का योग	यूडीएफ	जीडीए सामान्य निवेश	आकस्मिक आरक्षित निधि	यमुना प्रदूषण निधि	ई.डब्ल्यू. एस. आरक्षित निधि	सिविल कार्य रखरखाव निधि	विद्युत रखरखाव निधि	सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार	विशेष विकास निधि	स्टाफ लाभ निधि	जीडीए का उप-योग
एफडी/विशेष जमा	3,880.63	1,226.00	3.50	365.74	7.03	-	166.19	31.16	1.43	36.80	0.33	1,838.18
विशेष जमा	-											-
सरकारी प्रतिभूतियां	2,314.60			1,070.03								1,070
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	9,214.58	3,111.12				32.52	513.10	15.11				3,672
म्युचुअल फंड	288.81											-
व्यावसायिक दस्तावेज	-											-
मुद्रा बाजार	-											-
डिबेंचर एवं बॉण्ड	338.16											-
एलआईसी/ अन्य बीमा कंपनियों के साथ जमा	5,848.62		0.30									0
कुल	**21,885.40**	**4,337.12**	**3.80**	**1,435.77**	**7.03**	**32.52**	**679.29**	**46.27**	**1.43**	**36.80**	**0.33**	**6,580.36**
नकद	0.00		0.00									0.00
बचत बैंक	1,234.85	8.32	278.32	2.68	0.28	5.47	15.54	60.20	0.01	13.01	0.16	384.00
महायोग	**23,120.24**	**4,345.43**	**282.12**	**1,438.45**	**7.32**	**38.00**	**694.83**	**106.47**	**1.44**	**49.81**	**0.49**	**6,964.36**

लेखा शीर्ष	**नज़ूल -I खाता**	**नज़ूल -II खाता**					**ट्रस्ट**					
	नकद् शेष निवेश	एनए-II सामान्य निवेश	एस्क्रो (ईडब्ल्यूएस)	शहरी विरासत निधि	एस्क्रो (एफ.ए.आर)	उप योग नज़ूल II	छुट्टी नकदीकरण निधि	पीआरएमबी ट्रस्ट	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	सामान्य भविष्य निधि	उप- योग
एफ डी		1,918.03	0.36	0.55	4.64	1,923.58	-	40.00	-	-	78.87	118.87
विशेष जमा			-	-			-	-	-	-	-	-
सरकारी-प्रतिभूतियां			72.45	0.45		72.90	29.00	162.00	401.00	54.00	525.67	1,171.67
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां		5,220.67				5,220.67	-	50.06	149.00	13.27	109.73	322.06
म्युचुअल फंड							48.28	61.21	76.92	10.50	91.89	288.81
व्यावसायिक दस्तावेज							-	`	-	-	-	-
मुद्रा बाजार							-	-	-	-	-	-
डिबेंचर एवं बॉण्ड							17.00	33.20	179.00	16.00	92.96	338.16
एलआईसी/ अन्य बीमा कंपनियों के साथ जमा							79.55	61.60	5,509.19	197.99	-	5,848.32
कुल	**-**	**7,138.70**	**72.81**	**1.00**	**4.64**	**7,217.15**	**173.83**	**408.07**	**6,315.11**	**291.76**	**899.12**	**8,087.88**
नकद	-					-						
बचत बैंक	9	519.39				519.39	14.12	49.42	129.71	11.84	117.27	322.36
महायोग	**9.11**	**7,658.09**	**72.81**	**1.00**	**4.64**	**7,736.54**	**187.95**	**457.48**	**6,444.83**	**303.60**	**1,016.39**	**8,410.24**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल -I

वार्षिक लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खाता
नजूल खाता -I
31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
क्र. सं.	**लेखा शीर्ष**	**अनुसूची**	**दिनांक 31.03.2023 तक**	**दिनांक 31.03.2022 तक**	**क्र.सं.**	**लेखा शीर्ष**	**अनुसूची**	**दिनांक 31.03.2023 तक**	**दिनांक 31.03.2022 तक**
I	नजूल करार 1937 के खंड 9 के अंतर्गत सरकार को देय संचित अधिशेष निधि	क	21.39	22.48	I	नकद एवं बैंक शेष		9.11	6.44
					II	निवेश			
II	अन्य खाते से प्राप्त राशि		433.65	403.40	III	भूमि एवं कार्यों पर संचित व्यय		19.94	19.94
III	विविध लेनदार	ख	2.77	2.77					
					IV	विविध देनदार	घ	105.91	105.91
IV	पिछले तुलन पत्र के अनुसार देयताओं पर परिसंपत्ति की अधिकता		(30.24)	(30.24)					
					V	संपत्ति	ङ	0.27	0.29
V	वर्ष के दौरान के व्यय पर आय की अधिकता भाग-1		(66.47)	(39.97)	VI	आय पर व्यय की अधिकता (पार्ट - II)		222.77	222.77
					VII	अन्य परिसंपत्तियां		-	0.00
VI	नजूल करार के अंतर्गत संचित प्राप्तियों में अंतरित राशि		(3.10)	(3.10)	VIII	आरंभिक शेष में अंतर			
					IX	एन ए II से प्राप्य राशि		-	0.00
vii	अन्य देयताएं	ग	0.00	0.00	X	प्राप्य टीडीएस		-	0.00
	कुल		**358.00**	**355.35**		**कुल**		**358.00**	**355.35**

हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खाता
नजूल खाता -I
31-मार्च-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

व्यय				आय			
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	2022-23	2021-22	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	2022-23	2021-22
I	01.04.2017 तक भूमि और कार्य पर संचित व्यय			I	भूमि प्राशुल्क के निपटान से प्राप्तियां	-	-
II	भूमि और कार्य पर व्यय	-	-	II	एल एंड डी ओ से अंतरित भूमि		
III	व्यय पर आय की अधिकता (भाग-I)			III	निवेश में ब्याज		
				IV	भूमि एवं कार्य पर संचित राशि		
IV	प्रशासन की लागत			V	राजस्व		
					क) भू-भाटक	3.33	4.38
	i) अधिकारी	0.97	1.31		ख) अन्य प्राप्ति	0.85	3.34
					ग) क्षतिपूर्ति	3.00	0.95
	ii) संस्थापना	2.46	1.77		घ)पूर्व अवधि आय		
					ड)अन्य नजूल राजस्व	-	-
	iii) अन्य प्रभार	0.70	0.30				
				VI	लाइसेंस शुल्क	-	-
	iv) पेंशन अंशदान	6.09	1.00				
	v) उपदान अंशदान	0.07	0.01				
	vi) छुट्टी नकदीकरण अंशदान	0.16	0.04				
	vii) सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्कीम	1.04	0.22				
	viii) नई पेंशन स्कीम	0.35	0.02				
	ix) सामान्य भविष्य निधि योगदान	0.00	0.00				
	x) हितकारी निधि योगदान	0.00	0.00				
	घटाएं: कार्य से वसूला गया संस्थापना प्रभार	-1.96	-1.64				
V	सरकार को नजूल राजस्व का भुगतान	0.01	0.01				
VI	मूल्यह्रास	0.02	0.02				
VII	सामान्य विकास खाता (जीडीए) पर ब्याज	14.38	10.52				
VIII	सामान्य विकास खाता (जीडीए) पर ब्याज	14.38	10.52				
IX	पूर्व आवधिक व्यय	0.00	0.00				
XI	उद्यान कार्य	9.28	8.24				
X	व्यय पर आय की अधिकता (भाग - II)	(26.50)	-13.27				
	कुल	**7.18**	**8.67**		**कुल**	**7.18**	**8.67**

हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खाता
नजूल खाता -I
31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि करोड़ रुपए में)

प्राप्तियां (करोड़ रु.)				भुगतान (करोड़ रु.)			
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक प्राप्तियां (2022-23)	वास्तविक प्राप्तियां (2021-22)	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक भुगतान	वास्तविक भुगतान (2021-22)
I	कार्य और विकास स्कीमों से राजस्व			I	प्रशासन की शेयर लागत	4.30	3.38
	क) प्राशुल्क	-	-		घटाएं: कार्य से प्राप्त संस्थापना प्रभार	(1.96)	(1.64)
	ख) भू-भाटक	3.33	4.38			2.34	1.74
	ग) अन्य प्राप्तियां	0.01	-				
				II	कार्य और विकास स्कीमों पर व्यय	9.40	8.36
II	क्षतिपूर्ति	3.00	0.95			-	-
		-	-	III	विविध व्यय	-	-
III	अन्य नजूल राजस्व	-	-			-	-
	क) कृषि भूमि, अन्य भूमि से राजस्व	-	-	IV	नजूल राजस्व का भुगतान	0.01	0.01
	ख) अन्य राजस्व	0.85	3.35			-	-
				V	ब्याज पर ऋण	-	-
						-	-
IV	दिल्ली मुख्य योजना		-	VI	दिल्ली मुख्य योजना	0.26	0.57
						-	-
V	दिल्ली की नई मुख्य योजना		-	VII	दिल्ली की नई मुख्य योजना		
VI	एल एंड डीओ ग्राम सभा से अंतरित भूमि		-	VIII	ऋण पर ब्याज		-
VII	निवेश से ब्याज		-			-	-
VIII	दिल्ली के आस-पास वाली झीलों का विकास और निर्माण		-	IX	दिल्ली के आस-पास वाली झीलों का विकास और निर्माण		-
IX	ऋण प्राप्तियां		-	X	एल एंड डी से अंतरित भूमि		-
	कुल	**7.19**	**8.68**		**कुल**	**12.01**	**10.68**

(राशि करोड़ रुपए में)

प्राप्तियां (करोड़ रु.)				भुगतान (करोड़ रु.)			
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक प्राप्तियां (2022-23)	वास्तविक प्राप्तियां (2021-22)	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक भुगतान	वास्तविक भुगतान (2021-22)
X	**जमा और अग्रिम**			XI	**जमा और अग्रिम**		
i)	उचंत खाता		-	i)	उचंत खाता		-
क)	निवेश - नकद शेष		-	a)	निवेश - नकद शेष		-
	निवेश खाता		-		निवेश खाता		-
ख)	अन्य उचंत मदें		-	b)	अन्य उचंत मदें		-
ii)	जमा		-	ii)	जमा		-
iii)	अग्रिम (एच बी ए)		-	iii)	अग्रिम (एच बी ए)		-
iv)	पी.एल.ए.	10.66	7.75	iv)	पी.एल.ए.	10.66	7.75
v)	अन्य खातों से प्राप्त राशि	-	-	v)	अन्य खातों को भुगतान की गई राशि	-	-
	नजूल II	9.69	16.79		नजूल II	5.18	7.77
	जीडीए	4.66	1.42		जीडीए	1.57	4.48
	सामान्य भविष्य निधि	0.07	0.17		सामान्य भविष्य निधि	0.17	0.03
	कुल जमा एवं अग्रिम	**25.08**	**26.13**		**कुल जमा एवं अग्रिम**	**17.58**	**20.03**
	कुल प्राप्तियां	**32.27**	**34.81**		**कुल भुगतान**	**29.59**	**30.71**
	प्रारंभिक शेष	**6.44**	**2.34**		**अंत शेष**	**9.12**	**6.44**
	महायोग	**38.71**	**37.15**		**महायोग**	**38.71**	**37.15**

हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता -I

अनुसूची-क

नजूल करार - 1937 के अंतर्गत सरकार को देय/भुगतान की गई निधि का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
31.03.2022 तक निधियों का अंतरण	52.58	52.58
जोडें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि		
(क) शेष	52.58	52.58
31.03.2022 तक दिल्ली की पुरानी मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना पर		
किया गया कुल व्यय	27.60	27.03
जोड़ें: 2022-23 के दौरान व्यय	1.10	0.57
घटाएं: वर्ष के दौरान बिक्री प्रक्रियाओं के कारण प्राप्तियां		
दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (क) पर निवल व्यय	28.69	27.60
31.03.2022 तक नई दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना पर		
किया गया कुल व्यय	2.50	2.50
जोड़ें: 2022-23 के दौरान व्यय		
घटाएं: वर्ष के दौरान बिक्री प्रक्रियाओं के कारण प्राप्तियां		
दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (ख) पर निवल व्यय	**2.50**	**2.50**
(ख) कुल व्यय (क+ख)	31.20	30.10
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष (क-ख)	**21.39**	**22.48**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I
अनुसूची-ख
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विविध लेनदारों का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रशासन वेतन और अन्य प्रभार	0.18	0.18
नजूल-II को देय राशि	2.59	2.59
कुल	**2.77**	**2.77**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I
अनुसूची-ख
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अन्य देयताओं का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	**शुल्क और कर**		
	लेबर सेस	-	-
	सीजीएसटी पर टीडीएस	-	-
	एसजीएसटी पर टीडीएस	-	-
2	**जमा और प्रतिधारण**		
	जमा भाग II	0.00	0.00
3	**सांविधिक देयता**		-
	संविदाकार पर देय टीडीएस	-	-
	वेतन पर देय टीडीएस	-	-
	किराए पर देय टीडीएस	-	
4	**विविध**	-	-
	कुल	**0.00**	**0.00**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता -I

अनुसूची-घ

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विविध देनदारों का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I	प्रीमियम (भूमि के पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा देय)	0.93	0.93
II	भू-भाटक (पट्टा भूमि के लिए पट्टेदार द्वारा देय)	-	-
III	अन्य प्राप्तियां (स्टाफ क्वार्टर)	1.50	1.50
IV	नजूल-I और / संपत्तियों के अनधिकृत अधिभोग के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति	103.31	103.31
v	अन्य नजूल प्राप्तियां	0.16	0.16
VI	एल एंड डी / ग्राम सभा को अंतरित भूमि	0.00	0.00
	कुल	**105.91**	**105.91**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता -I

अनुसूची-ङ

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विविध देनदारों का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक			मूल्यह्रास	31-03-2023 तक अंतिम शेष
		01-04-2022 तक प्रारंभिक शेष	अतिरिक्त राशि	31-03-2023 तक		
I	मोटर वाहन	कुल राशि	-	0.03	0.00	0.03
II	फर्नीचर	0.03	-	0.03	0.00	0.03
III	अन्य कार्यालय उपकरण	0.01	-	0.01	0.00	0.01
IV	सर्वेक्षण और ड्रॉइंग उपकरण	0.00	-	0.00	0.00	0.00
V	स्टाफ क्वार्टर्स	0.20	-	0.20	0.01	0.19
VI	झंडेवालान में अस्थायी जंक मार्किट के लिए 128 एकड़ भूमि का विकास	0.01	-	0.01	-	0.01
VII	जनता मार्किट रानी झांसी रोड	0.00	-	0.00	-	0.00
VIII	अजमेरी गेट में पार्किंग व्यवस्था प्रदान करना	0.00	-	0.00	-	0.00
	कुल	**0.29**	**-**	**0.29**	**0.02**	**0.27**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल -II

वार्षिक लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता- II
अनुसूची-ङ
31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपए में)

प्राप्तियाँ				भुगतान			
क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ 2022-23	वास्तविक प्राप्तियाँ	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक भुगतान 2022-23	वास्तविक भुगतान 2021-23
I-सी	विकसित भूमि के प्रीमियम के निपटान से प्राप्तियाँ	1,077.41	1,509.84	I-सी	भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली प्रशासन (भूमि एवं भवन विभाग) को भुगतान	79.62	90.46
		-	-		कोर्ट अटैचमेंट की राशि	-	-
		-	-		बढ़े हुए मुआवजे की राशि	-	-
		-	-		विशेष पुनर्वास पैकेज को भुगतान	-	-
II-सी	अविकसित भूमि के प्रीमियम के निपटान से प्राप्तियाँ	383.99	631.63	II- सी	भूमि के विकास पर व्यय	859.35	1,130.87
		-	-		मुख्य योजना एवं अन्य सहगामी योजनाएं	1,342.88	1,008.38
		-	-		खेल परिसर	279.59	252.65
		-	-		**भूमि 2-सी के विकास पर कुल व्यय**	**2,481.82**	**2,391.89**
III-सी	भू-भाटक एवं अन्य प्राप्तियाँ	270.81	249.28	III-सी	राष्ट्रमंडल खेल-2010 व्यय		
IV-सी	खेल परिसरों से संबंधित प्राप्तियाँ	77.25	36.40				
	यूडीएफ से अनुदान	568.07	511.52				
	केंद्र सरकार से अनुदान - सीडब्ल्यूजी 2010	-	-		योजना में शामिल सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कों के निर्माण पर व्यय		-
	सीडब्ल्यूजी फ्लैटों के निपटान से प्राप्तियाँ	-	-				
V-सी	**विविध प्राप्तियाँ**	-	-				
(क)	संघटन शुल्क	-	-	IV-सी	विकास योजनाओं में शामिल भवनों को छोड़कर अन्य भवनों पर व्यय		-
(ख)	निवेश से ब्याज	-	-				
	नजूल-II निवेश पर ब्याज	521.29	629.81		दि.न.नि. को भुगतान	18.79	26.63
	खेल निवेश पर ब्याज	-	-			-	-
	एनए II की बचत पर ब्याज	40.64	35.44			-	-
	एस्क्रो ईडब्ल्यूएस(बचत+निवेश) पर ब्याज	5.45	5.45			-	-

प्राप्तियाँ				भुगतान			
क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ 2022-23	वास्तविक प्राप्तियाँ	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक भुगतान 2022-23	वास्तविक भुगतान 2021-23
	एस्क्रो एफएआर (बचत+निवेश) पर ब्याज	0.28	0.11			-	-
	एचआरडी पर ब्याज	-	-			-	-
	यूएचएफ पर ब्याज	0.03	0.05			-	-
(ग)	अन्य विविध प्राप्तियाँ	61.78	57.64			-	-
	उपकिरायेदारी प्रभार	1.58	1.81			-	-
	दुरुपयोग प्रभार	4.53	5.39			-	-
	लागत/प्रीमियम पर ब्याज	3.57	8.65			-	-
	भू-भाटक पर ब्याज	16.94	2.54			-	-
	संघटन शुल्क	27.94	13.16			-	-
	अनर्जित वृद्धि	1.47	0.87			-	-
	विभिन्न विभागों से वृक्षारोपण प्राप्तियां	114.43	45.55			-	-
	अन्य प्राप्तियां-लाइसेंस शुल्क	83.95	138.44	V- सी	प्रशासन प्रभार के हिस्से की लागत	325.23	240.39
	शहरी विरासत खाते से ब्याज	-	-		घटाएं संस्थापना प्रभार	-147.82	-82.74
	खेल परिसर	-	-		**निवल शेयर लागत**	**177.41**	**157.65**
	ई.डब्ल्यू.एस. निधि	-	-	VI-सी	ऋण पर ब्याज (अर्थोपाय अग्रिम)		-
	ई.डब्ल्यू.एस. निधि पर ब्याज	-	-		प्रीमियम की वापसी	19.55	9.64
						-	-
V सी	**कुल**	**883.89**	**944.91**			-	-
						-	-
VI-सी	दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ वृद्धि/तदर्थ कमी	-		VII-सी	घटाएं: दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ कमी	-	-
						-	-
					भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को प्रदान किया गया अनुदान	-	-
					दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भुगतान की गई राशि	80.00	130.00
	कुल	**3,261.42**	**3,883.58**		**कुल**	**2,679.78**	**2,648.63**
VII-सी	**Debt Receipt**			VIII- सी	**ऋण का पुनर्भुगतान**		
i)	केंद्र सरकार से ऋण (अर्थोपाय अग्रिम)			i)	केंद्र सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान।		-
ii)	अन्य खातों से प्राप्त राशि			ii)	अन्य खातों में वापस की गई राशि		-
					74 सीडब्ल्यूजी फ्लैटों की बिक्री के लिए बी.जी.डी.ए. को भुगतान की गई राशि		-

प्राप्तियाँ				भुगतान			
क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ 2022-23	वास्तविक प्राप्तियाँ	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक भुगतान 2022-23	वास्तविक भुगतान 2021-23
VIII-सी	**जमा एवं अग्रिम**			IX-सी	**जमा एवं अग्रिम**		
i)	अन्य खातों में भुगतान की गई राशि की वसूली			i)	अन्य खातों में भुगतान की गई अग्रिम राशि		-
ii)	उचंत खाता:	-	-	ii)	उचंत खाता:		-
क)	**निवेश-नकद शेष निवेश खाता**	6,030.02	11,310.18	**क)**	**निवेश-नकद शेष निवेश खाता**	5,481.12	10,937.95
		-	-		सावधि जमा	-	-
		-	-		प्रतिभूतियाँ	-	-
		-	-		निवेश पर भुगतान किया गया प्रीमियम	-	-
		-	-		निवेश पर भुगतान किया गया ब्याज	-	-
		-	-			-	-
ख)	एस्क्रो (ई.डब्ल्यू.एस.) निवेश	-	-	ख)	एस्क्रो (ई.डब्ल्यू.एस.) निवेश	0.36	-
ग)	एस्क्रो एफ.ए.आर. निवेश	5.00	-	ग)	एस्क्रो एफ.ए.आर. निवेश	4.64	5.00
घ)	विशेष जमा खाता	-	-	घ)	विशेष जमा खाता	-	-
ड.)	निवेश खाता खेल	-	-	ड.)	निवेश खाता खेल	-	-
च)	एस्क्रो नकदीकरण	-	-	च)	एस्क्रो नकदीकरण	-	-
छ)	एचआरडी नकदीकरण	-	-	छ)	एचआरडी नकदीकरण	-	-
ज)	शहरी विरासत पुरस्कार निधि नकदीकरण	-	-	ज)	शहरी विरासत पुरस्कार निधि निवेश	0.55	-
झ)	सड़क पुनर्स्थापन निवेश	-	-	झ)	सड़क पुनर्स्थापन निवेश	8.83	-
	बयाना राशि जमा	0.91	0.70		बयाना राशि की वापसी/समायोजन	3.89	5.35
	अन्य जमा	78.06	65.29		अन्य जमा	58.29	62.81
		-	-			-	-
	ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण हेतु एस्क्रो खाता (जीएचएस) से प्राप्त निधि	-	-		ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण हेतु एस्क्रो खाता (जीएचएस) से प्राप्त निधि	-	-
	शहरी विरासत निधि में प्राप्ति	-	-		शहरी विरासत निधि संवितरण	-	-
	अन्य उचंत खाता	-	-		अन्य उचंत खाता	-	-
	जमा	-	-		जमा	-	-
		-	-			-	-
	परिक्रामी निधि से प्राप्त राशि	2,481.82	2,391.87		परिक्रामी निधि को भुगतान की गई राशि	2,481.82	2,391.87
	जीडीए से प्राप्त राशि	1,032.27	378.09		जीडीए को भुगतान की गई राशि	2,405.29	1,663.33
	एसबीएफ से प्राप्त राशि	0.33	-		एसबीएफ को भुगतान की गई राशि	0.33	-
	सड़क पुनर्स्थापन से प्राप्त राशि	8.83	-		सड़क पुनर्स्थापन को भुगतान की गई राशि	8.83	-

प्राप्तियाँ				भुगतान			
क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ 2022-23	वास्तविक प्राप्तियाँ	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक भुगतान 2022-23	वास्तविक भुगतान 2021-23
	सिरी फोर्ट क्षेत्र से प्राप्त राशि	2.86	-		सिरी फोर्ट क्षेत्र को भुगतान की गई राशि	2.86	-
	जीपीएफ से प्राप्त राशि	21.60	42.12		जीपीएफ को भुगतान की गई राशि	3.36	50.55
	छुट्टी नकदीकरण निधि से प्राप्त राशि	-	-		छुट्टी नकदीकरण निधि को भुगतान की गई राशि	-	2.46
	आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि	501.77	1,398.45		आकस्मिकता व्यय को भुगतान की गई राशि	516.18	1,355.88
	ई.डब्ल्यू.एस. से प्राप्त राशि	4.19	61.41		ई.डब्ल्यू.एस. को भुगतान की गई राशि	9.65	65.46
	एस्क्रो ई.डब्ल्यू.एस से प्राप्त राशि	5.44	-		एस्क्रो ई.डब्ल्यू.एस को भुगतान की गई राशि	5.44	-
	एस्क्रो एफएआर से प्राप्त राशि	1.07	5.00		एस्क्रो एफएआर को भुगतान की गई राशि	1.07	5.00
	यू.डी.एफ. से प्राप्त राशि	1,709.33	3,369.55		यू.डी.एफ. को भुगतान की गई राशि	1,643.76	3,371.84
	एस.डी.एफ. को देय राशि	33.12	8.24		एस.डी.एफ. को भुगतान की गई राशि	11.80	14.94
	सिविल रखरखाव निधि से प्राप्त राशि	232.18	453.90		सिविल रखरखाव निधि को भुगतान की गई राशि	231.25	450.21
	इलेक्ट्रिकल रख-रखाव निधि से प्राप्त राशि	60.45	17.93		इलेक्ट्रिकल रख-रखाव निधि को भुगतान की गई राशि	60.45	18.22
	पेंशन निधि से प्राप्त राशि	-	440.48		पेंशन निधि को भुगतान की गई राशि	-	466.00
	नजूल खाता I से प्राप्त राशि	5.18	7.77		नजूल खाता I भुगतान की गई राशि	9.69	16.79
	उपदान निधि से प्राप्त राशि	-	-		उपदान निधि को भुगतान की गई राशि	-	-
	पीआरएमएस निधि से प्राप्त राशि	-	-		पीआरएमएस निधि को भुगतान की गई राशि	-	-
	शहरी विरासत निधि से प्राप्त राशि	0.03	0.05		शहरी विरासत निधि को भुगतान की गई राशि	0.03	0.05
	पी.एल.ए. से प्राप्त राशि	2,702.19	2,271.78		पी.एल.ए. को भुगतान की गई राशि	2,702.19	2,271.78
	कुल जमा एवं अग्रिम	**14,916.66**	**22,222.80**		**कुल जमा एवं अग्रिम**	**15,651.69**	**23,155.50**
	कुल प्राप्तियाँ	**18,178.08**	**26,106.39**		**कुल भुगतान**	**18,508.88**	**25,961.77**
	आरंभिक शेष	**850.20**	**705.58**		**अंत शेष**	**519.40**	**850.20**
	महायोग	**19,028.28**	**26,811.97**		**महायोग**	**19,028.28**	**26,811.97**

हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली।

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण की पेंशन निधि ट्रस्ट (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2023 को तब समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त उल्लिखित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरणों में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

•वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्या कथन चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। कपट के कारण भारी मिथ्या कथन का पता ना लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।

•प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

•प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की कंपनी की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।

•प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण मूलभूत लेनदेन और वृत्तांत को इस प्रकार दर्शातें हैं जिससे इनका युक्तिपूर्ण प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता हो ।

वित्तीय विवरणों में अत्यधिक गंभीर बात है ग़लत विवरण, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं । हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य में योजना के कार्य-क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन की मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. संख्या: 035855एन)

सीए आशीष कुमार तिवारी
(प्रोपराईटर)
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

U DIN: 23554092BGTVAQ4064

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
31-मार्च-2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएँ				
निधि का आरंभिक शेष	10,82,63,08,748		12,25,41,45,715	
जमाः नियोक्ता अंशदान	3,54,76,569		74,95,64,378	
जोड़ें/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
घटाएं: सामान्य भविष्य संवितरण	(2,26,65,59,027)		(3,12,70,48,289)	
जोडें: व्यय पर आय की अधिकता	75,66,17,742		94,96,46,943	
सामान्य भविष्य निधि का शेष		9,35,18,44,031		10,82,63,08,748
दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय		2,43,54,89,624		1,59,57,06,317
अनअमोरटाईज्ड डिस्काउंट		4,67,95,013		6,20,24,484
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट को देय		29,711		29,711
नजूल खाता II को देय राशि		(53,90,76,169)		(35,67,24,462)
		-		
		11,29,50,82,211		**12,12,73,44,798**
परिसंपत्तियां				
निवेश		8,99,11,87,012		9,71,88,67,012
निवेश पर उपार्जित ब्याज		36,12,75,447		37,10,42,783
बैंक शेष		1,17,26,84,736		1,70,56,20,040
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		35,97,74,221		8,23,05,291
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		40,29,41,000		24,01,16,000
नजूल खाता I से प्राप्ति योग्य राशि		7,42,000		17,07,000
अनअमोरटाईज्ड प्रीमियम		64,77,796		76,86,672
प्राप्ति योग्य टी डी एस		-		-
		11,29,50,82,211		**12,12,73,44,798**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर अर्जित ब्याज	72,63,08,328	91,34,37,832
बचत ब्याज	3,02,50,916	3,61,64,928
विविध आय (प्राधिकरण शेयर)	85,531	66,102
पूर्व अवधि आय	-	-
	75,66,44,775	**94,96,68,862**
व्यय		
विविध व्यय	27,033	21,919
	27,033	**21,919**
व्यय पर आय की अधिकता	**75,66,17,742**	**94,96,46,943**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्ति		भुगतान	
लेखा शीर्ष	**वर्ष हेतु क्रमिक योग**	**लेखा शीर्ष**	**वर्ष हेतु क्रमिक योग**
सामान्य भविष्य निधि		सामान्य भविष्य निधि	
कर्मचारियों से जीपीएफ अंशदान	40,15,98,574	जीपीएफ संवितरण	53,67,90,119
जीपीएफ अग्रिम पर ब्याज			
बचत ब्याज	3,02,50,916	सेवानिवृत्त जीपीएफ संवितरण	-
जीपीएफ निवेश	1,62,08,98,855	जीपीएफ निवेश	91,07,95,722
		जीपीएफ निवेश की खरीद पर छूट	-
जीपीएफ निवेशों पर ब्याज	73,96,31,937	जीपीएफ निवेशों पर ब्याज	-
जीपीएफ शेष पर क्रेडिट किया गया ब्याज	-	डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंश स्कीम हेतु भुगतान	10,50,000
जीपीएफ निवेश की खरीद पर प्रीमियम	-	जीपीएफ शेष पर ब्याज भुगतान	-
		जीपीएफ अंतिम भुगतान	1,97,55,49,001
जीपीएफ अग्रिम वसूली	1,50,16,850	दिया गया अग्रिम	13,43,08,762
उपदान से प्राप्त राशि	-	उपदान हेतु भुगतान की गई राशि	16,28,25,000
पेंशन से प्राप्त राशि	2,54,17,410	पेंशन हेतु भुगतान की गई राशि	30,28,86,340
जीडीए से प्राप्त राशि	1,13,18,53,084	जीडीए हेतु भुगतान की गई राशि	29,20,69,777
एलईएफटी से प्राप्त राशि	-	एलईएफटी हेतु भुगतान की गई राशि	-
पीआरएमबी से प्राप्त राशि	-	पीआरएमबी को भुगतान की गई राशि	-
एन ए II से प्राप्त राशि	3,36,20,000	एन ए II को भुगतान की गई राशि	21,59,71,707
एन ए I से प्राप्त राशि	17,00,000	एन ए I को भुगतान की गई राशि	7,35,000
जीपीएफ शेष का अंतरण	3,38,76,34,165	जीपीएफ शेष का अंतरण	3,38,76,34,165
इंटर-यूनिट लेखा	-	इंटर-यूनिट लेखा	-
विविध प्राप्तियाँ	85,531	विविध व्यय	27,033
कुल प्राप्ति	**7,38,77,07,322**	**कुल व्यय**	**7,92,06,42,626**
आरंभिक शेष	**1,70,56,20,040**	**अंतिम शेष**	**1,17,26,84,736**
कुल	**9,09,33,27,362**	**कुल**	**9,09,33,27,362**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्भवन) के आधार पर जाना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. लेखा की टिप्पणी

1. नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है।
2. म्यूचुअल फंड निवेश पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।
3. निवेशों को सरकारी प्रतिभुतियों, बान्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 26 जून, 2023

मुख्य लेखाधिकारी

ट्रस्टी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

पेंशन निधि ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

दिल्ली विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली।

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण की पेंशन निधि ट्रस्ट (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2023 को तब समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त उल्लिखित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरणों में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्या कथन चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। कपट के कारण भारी मिथ्या कथन का पता ना लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की कंपनी की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण मूलभूत लेनदेन और वृत्तांत को इस प्रकार दर्शातें हैं जिससे इनका युक्तिपूर्ण प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता हो ।

  वित्तीय विवरणों में अत्यधिक गंभीर बात है ग़लत विवरण, जो व्यक्तगित रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं । हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य में योजना के कार्य-क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन की मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022, की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं				
निधि का आरंभिक शेष	75,41,97,12,867		72,01,45,58,131	
जोड़े: नियोक्ता अंशदान				
-चालू वर्ष	6,76,31,07,904		5,29,83,90,850	
घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन				
घटाएं: संवितरण	(7,47,03,11,258)		(6,88,98,95,553)	
जोड़े: व्यय पर आय की अधिकता	4,68,22,40,206		4,99,66,59,439	
निधि का अंतिम शेष		79,39,47,49,719		75,41,97,12,867
आकस्मिक आरक्षित निधि को देय		(44,200)		11,54,55,800
ई.डब्ल्यू.एस. आवास रिजर्व को देय		15,945		15,945
यूडीएफ को देय		46,74,35,286		46,74,35,286
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को देय		35,97,74,221		8,23,05,291
नजूल-II को देय		1,61,41,61,909		1,61,41,61,909
एलईएफ को देय		7,51,69,740		9,83,12,740
पीआरएमएस को देय		23,75,31,992		30,03,43,992
लंबित देयताएं		56,27,45,464		57,17,85,798
अनएमेटाईल डिस्काउंट		3,05,42,453		3,35,73,106
		82,74,20,82,529		**78,70,31,02,734**
परिसंपत्तियां				
निवेश		63,15,11,08,106		61,73,76,38,206
निवेश पर उपार्जित ब्याज		17,16,90,087		19,87,22,380
बैंक शेष		1,29,71,47,707		1,51,76,50,924
प्राप्य टीडीएस		82,04,856		82,04,856
सिविल अनुरक्षण निधि से प्राप्य		39,043		39,043
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्य		4,15,61,000		3,16,23,500
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्य		18,07,23,31,730		15,20,92,23,826
		82,74,20,82,528		**78,70,31,02,734**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर उपार्जित ब्याज	4,67,22,46,408	4,95,05,33,093
बचत ब्याज	2,23,64,303	4,61,38,863
कुल आय	**4,69,46,10,711**	**4,99,66,71,956**
व्यय		
विविध व्यय	5,634	12,517
निवेश पर प्रावधान	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	1,23,64,871	-
कुल व्यय	**1,23,70,506**	**12,517**
व्यय पर आय की अधिकता	**4,68,22,40,206**	**4,99,66,59,439**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2022-23 हेतु राशि	वर्ष 2021-22 हेतु राशि
प्राप्तियाँ		
पेंशन निधि निवेश	3,81,01,47,283	11,31,71,06,579
पेंशन निधि निवेश पर ब्याज	71,58,13,276	1,32,38,67,229
निधि के बचत शेष पर ब्याज	2,23,64,303	4,61,38,863
बी.जी.डी.ए. से प्राप्त	3,90,00,00,000	2,59,10,00,000
यू.डी.एफ. से प्राप्त	-	85,54,23,700
छुट्टी नकदीकरण से प्राप्त	17,34,57,000	44,32,93,000
पी.आर.एम.एस. से प्राप्त	23,74,88,000	30,03,13,000
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्त	30,28,86,340	15,28,86,340
जीडीए आकस्मिक निधि से प्राप्त	-	1,53,15,12,150
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त	-	30,44,18,607
नजूल-II से प्राप्त	-	4,65,99,59,966
कुल प्राप्ति	**9,16,21,56,202**	**23,52,59,19,434**
आरंभिक शेष	**1,61,43,50,924**	**1,03,12,25,845**
कुल	**10,77,65,07,126**	**24,55,71,45,279**
भुगतान		
पेंशन निधि निवेश	1,25,55,47,283	8,06,68,56,181
पेंशन भुगतान	7,47,93,51,592	6,72,53,89,050
एल.ई.एफ.टी. को भुगतान	19,66,00,000	61,14,00,000
यू.डी.एफ. को भुगतान	-	80,98,00,000
पी.आर.एम.एस. को भुगतान	30,03,00,000	27,24,00,000
उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	99,37,500	30,44,18,607
जी.पी.एफ. को भुगतान	2,54,17,410	27,39,28,000
नजूल-II को भुगतान	-	4,40,47,90,000
जी.डी.ए. आकस्मिक को भुगतान	11,55,00,000	1,47,38,00,000
सी.सी.एल. प्रभार/बैंक प्रभार	5,634	12,517
कुल व्यय	**9,38,26,59,419**	**22,94,27,94,355**
अंतिम शेष	**1,39,38,47,707**	**1,61,43,50,924**
कुल	**10,77,65,07,126**	**24,55,71,45,279**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि ट्रस्ट
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को उपार्जन (अक्रुअल) आधार पर माना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. लेखा की टिप्पणी

1. नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 06.06.2023 को प्राप्त नवीनतम बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।
2. म्यूचुअल फंड निवेश पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।
3. निवेशों को सरकारी प्रतिभुतियों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26 जून, 2023

मुख्य लेखाधिकारी
ट्रस्टी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,
दिल्ली विकास प्राधिकरण, छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट,
विकास सदन, नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण की छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2023 को तब समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरणों में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्या कथन चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। कपट के कारण भारी मिथ्या कथन का पता ना लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण मूलभूत लेनदेन और वृत्तांत को इस प्रकार दर्शातें हैं जिससे इनका युक्तिपूर्ण प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता हो ।

वित्तीय विवरणों में अत्यधिक गंभीर बात है ग़लत विवरण, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं । हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य में योजना के कार्य-क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन की मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. संख्या: 035855एन)

सीए आशीष कुमार तिवारी
(प्रोपराईटर)
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

U DIN: 23554092BGTVAQ4064

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट
तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं				
निधि का आरंभिक शेष	1,96,53,15,819		2,42,41,73,977	
जमा: नियोक्ता अंशदान				
- चालू वर्ष	17,36,38,453		22,64,34,096	
घटाएं: संवितरण	(69,68,38,196)		(81,45,63,316)	
जोडें: व्यय पर आय की अधिकता	12,53,16,795		12,92,71,062	
निधि का अंतिम शेष		1,56,74,32,871		1,96,53,15,819
दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय		40,45,43,574		57,74,57,099
नजूल खाता II को देय		41,742		41,742
पीआरएमएस को देय		2,50,00,000		-
ब्रांच एंड डिवीजन		-		-
		1,99,70,18,187		**2,54,28,14,660**
परिसंपतियां				
निवेश		1,73,83,01,262		2,00,75,02,543
निवेश पर उपार्जित ब्याज		2,18,37,223		3,27,37,385
बैंक शेष		14,11,55,775		39,32,27,805
प्राप्य टीडीएस		14,54,476		14,54,476
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्य		1,90,70,000		95,50,000
सामान्य भविष्य निधि से प्राप्य		29,711		29,711
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्य		7,51,69,740		9,83,12,740
		1,99,70,18,187		**2,54,28,14,660**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट
तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
नविश पर उपार्जति ब्याज	11,75,47,728	14,03,70,662
अन्य आय	77,73,763	50,61,169
कुल आय	**12,53,21,491**	**14,54,31,831**
व्यय		
ववििध व्यय	4,696	1,156
कुल व्यय	**4,696**	**1,156**
व्यय पर आय की अधकिता	**12,53,16,795**	**14,54,30,675**
जोड़ें:-पूर्व अवधि समायोजन	**-**	**(1,61,59,613)**
व्यय पर आय की नविल अधकिता	**12,53,16,795**	**12,92,71,063**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2022-23 हेतु राशि	वर्ष 2021-22 हेतु राशि
प्राप्तियां		
निवेश का नकदीकरण	35,67,03,315.00	39,32,00,000.00
विविध प्राप्ति	2,64,318.00	
छुट्टी निधि निवेश पर ब्याज	7,26,49,170.75	10,69,54,431.21
छुट्टी निधि बचत ब्याज पर ब्याज	69,79,818.00	50,61,168.84
जी.डी.ए. से प्राप्त	7,24,928.00	37,60,44,480.00
उपदान निधि से प्राप्त	-	1,27,80,000.00
सेवानिवृत्ति पश्चात् हितकारी निधि ट्रस्ट से प्राप्त	2,50,00,000.00	-
पेंशन फंड से प्राप्त	19,66,00,000.00	61,14,00,000.00
नजूल खाता II से प्राप्त	-	2,46,00,000.00
इंटर-यूनिट खाता	56,87,71,575.00	65,71,34,100.00
कुल प्राप्ति	**1,22,76,93,124.75**	**2,18,71,74,180.05**
जोडें:-आरंभिक शेष	39,32,27,805.01	16,78,52,074.36
कुल	**1,62,09,20,929.76**	**2,35,50,26,254.41**
भुगतान		
एलईएफटी निवेश	3,17,03,314.00	1,00,00,000.00
छुट्टी नकदीकरण का भुगतान	69,63,08,569.00	81,45,63,316.00
विविध व्यय	4,696.00	1,156.40
पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	17,34,57,000.00	44,32,93,000.00
उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	95,20,000.00	95,20,000.00
जीडीए को भुगतान	-	1,62,86,877.00
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को भुगतान	-	1,10,00,000.00
इंटर-यूनिट खाता	56,87,71,575.00	65,71,34,100.00
कुल भुगतान	**1,47,97,65,154.00**	**1,96,17,98,449.40**
जोडें :-अंतिम शेष	14,11,55,775.36	39,32,27,805.01
कुल	**1,62,09,20,929.36**	**2,35,50,26,254.41**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को उपार्जित (अक्रुअल) के आधार पर माना जाता है ।

घ. क्रय के समय निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को समायोजित किया गया है ।

2. लेखा की टिप्पणी

नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को दर्ज किया गया है जो 31.03.2023 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय मान्य किया गया।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26 जून, 2023

मुख्य लेखाधिकारी
ट्रस्टी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,
दिल्ली विकास प्राधिकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट,
विकास सदन, नई दिल्ली

<u>वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट</u>

हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण की सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि ट्रस्ट (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2023 को तब समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

<u>राय का आधार</u>

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

<u>वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व -</u>

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

<u>लेखापरीक्षक के दायित्व</u>

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरणों में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्या कथन चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। कपट के कारण भारी मिथ्या कथन का पता ना लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण मूलभूत लेनदेन और वृत्तांत को इस प्रकार दर्शातें हैं जिससे इनका युक्तिपूर्ण प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता हो ।

वित्तीय विवरणों में अत्यधिक गंभीर बात है ग़लत विवरण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं । हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य में योजना के कार्य-क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन की मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. संख्या: 035855एन)

सीए आशीष कुमार तिवारी
(प्रोपराईटर)
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

U DIN: 23554092BGTVAQ4064

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट
तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
कोर्पस फंड एवं देयताएं				
निधि का आरंभिक शेष	742.58		615.45	
जोड़ें: नियोक्ता अंशदान				
- चालू वर्ष	115.30		116.52	
घटाएं: संवितरण	(88.51)		(88.67)	
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता	32.26		39.28	
निधि का अंतिम शेष		801.63		742.58
		801.63		**742.58**
परिसंपत्तियां				
निवेश		408.07		355.33
निवेश पर उपार्जित ब्याज		8.06		6.11
बैंक शेष		49.42		112.71
प्राप्य टीडीएस		0.78		0.78
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्य		23.75		30.03
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट से प्राप्य		2.50		-
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्य		303.43		234.13
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्य		5.63		3.49
		801.63		**742.58**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

आय एवं व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर अर्जित ब्याज	28.76	36.31
बचत ब्याज	3.50	2.97
विविध प्राप्तियां	-	
	32.26	**39.28**
व्यय		
बैंक प्रभार	0.00	0.00
टेलिफोन व्यय		
पूर्व अवधि समायोजन	-	-
	0.00	**0.00**
आय पर व्यय की अधिकता	**32.26**	**39.28**

आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. संख्या: 035855एन)

सीए आशीष कुमार तिवारी
(प्रोपराईटर)
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

U DIN: 23554092BGTVAQ4064

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2022-23 हेतु राशि	वर्ष 2021-22 हेतु राशि
प्राप्तियाँ		
पी.आर.एम.एस. निधि निवेश का नकदीकरण	54.60	76.35
पी.आर.एम.एस. निधि निवेश पर ब्याज	22.57	32.23
पी.आर.एम.एस. निधि बचत ब्याज पर ब्याज	3.50	2.97
जी.डी.ए. से प्राप्त	50.00	34.20
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्त	30.03	27.24
इंटर - यूनिट खाता	87.03	110.64
कुल प्राप्तियाँ	**247.73**	**283.63**
जोड़े: -आरंभिक शेष	112.70	67.98
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	-	-
कुल योग	**360.43**	**351.61**
भुगतान		
पी.आर.एम.एस. निधि निवेश	103.09	9.36
भुगतान किया गया चिकित्सा लाभ	88.51	88.67
विविध व्यय/बैंक प्रभार	0.00	0.00
बी.जी.डी.ए. को भुगतान	4.00	0.20
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट को भुगतान	2.50	-
उपदान निधि को भुगतान	2.14	-
पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	23.75	30.03
इंटर-यूनिट खाता	87.03	110.64
कुल व्यय	**311.02**	**238.90**
जोड़े:- अंतिम शेष	49.41	112.70
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	-	-
कुल योग	**360.43**	**351.61**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ट्रस्ट
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को उपार्जित (अक्रुअल) के आधार पर माना जाता है ।

घ. क्रय के समय निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को समायोजित किया गया है ।

2. लेखा की टिप्पणी

नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को दर्ज किया गया है जो 06.06.2023 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय मान्य किया गया।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26 जून, 2023

मुख्य लेखाधिकारी
ट्रस्टी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,
दिल्ली विकास प्राधिकरण, उपदान निधि ट्रस्ट,
विकास सदन, नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण की उपदान निधि ट्रस्ट (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2023 को तब समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरणों में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्या कथन चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। कपट के कारण भारी मिथ्या कथन का पता ना लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण मूलभूत लेनदेन और वृत्तांत को इस प्रकार दर्शातें हैं जिससे इनका युक्तिपूर्ण प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता हो ।

वित्तीय विवरणों में अत्यधिक गंभीर बात है ग़लत विवरण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं । हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य में योजना के कार्य-क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन की मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. संख्या: 035855एन)

सीए आशीष कुमार तिवारी
(प्रोपराईटर)
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

U DIN: 23554092BGTVAQ4064

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएँ				
निधि का आरंभिक शेष	341.47		435.45	
जोड़े: नियोक्ता अंशदान	6.52		6.74	
जोड़े/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
घटाएं: उपदान संवितरण	(118.18)		(135.50)	
जोड़े: व्यय पर आय की अधिकता	25.22		34.78	
उपदान निधि शेष		255.03		341.47
सामान्य भविष्य निधि को देय		40.29		24.01
पेंशन निधि ट्रस्ट को देय		4.16		3.16
पी.आर.एम.एस. निधि को देय		5.63		3.49
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट को देय		1.91		0.96
यू.डी.एफ. को देय		2.04		2.04
नजूल-II से प्राप्य राशि		0.11		0.11
जीडीए को देय राशि		5.41		-
		314.58		**375.24**
परिसंपत्तियाँ				
निवेश		291.76		330.02
निवेश पर उपार्जित ब्याज		10.69		10.68
बैंक शेष		11.84		16.18
प्राप्ति योग्य टीडीएस		0.30		0.30
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्ति योग्य		-		18.07
		314.58		**375.24**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर अर्जित ब्याज	23.81	33.77
बचत ब्याज	0.45	0.98
पूर्व अवधि मदें	0.96	0.03
	25.22	**34.77**
व्यय		
विविध खर्चे	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
व्यय पर आय की अधिकता	**25.22**	**34.77**

आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. संख्या: 035855एन)

सीए आशीष कुमार तिवारी
(प्रोपराईटर)
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

U DIN: 23554092BGTVAQ4064

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राप्तियाँ		
उपदान निधि निवेश	55.99	132.30
उपदान निधि निवेश पर ब्याज	9.53	22.47
बचत खाता से ब्याज	0.45	0.98
पेंशन निधि से प्राप्त	0.99	30.44
बीजीडीए से प्राप्त	30.00	15.17
पीआरएमएस से प्राप्त	2.14	-
एलईएफटी से प्राप्त	0.95	0.95
सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त	16.28	17.59
कुल प्राप्तियाँ	**116.34**	**219.90**
आरंभिक शेष	**16.18**	**23.24**
कुल	**132.52**	**243.14**
भुगतान		
उपदान निधि निवेश	2.50	58.76
उपदान भुगतान	118.18	135.50
सी सी एल/प्रभार/बैंक प्रभार	0.00	0.00
बी जी डी ए को भुगतान	-	0.99
पेंशन निधि को भुगतान	-	30.44
एल ई एफ टी को भुगतान	-	1.28
कुल भुगतान	**120.68**	**226.96**
अंतिम शेष	**11.84**	**16.18**
कुल	**132.52**	**243.14**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
आशीष कुमार तिवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 035855N

सीए आशीष कुमार तिवारी
सदस्यता संख्याः 554092

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्भवन) के आधार पर जाना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. लेखा की टिप्पणी

1. नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 31.03.2023 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।
2. म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।
3. निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 26 जून, 2023

मुख्य लेखाधिकारी

ट्रस्टी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2022-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DDA DEVELOPMENT AUTHORITY

SAR COMPLIANCE REPORT 2022-23

	Observations	Reply
A.	**Nazul-I**	
1.	**Balance Sheet** **Liabilities - Rs.357.99 crore**	
	The above includes an amount of Rs. 30.24 crore being 'Excess of Assets over Liabilities as per last Balance sheet' which is in nature of Suspense account and is being carried forward year after year without any progress in clearance of the amount. As the above amount is not supported by any details, and also in the absence of any progress in reconciliation, the correctness of the amount as well as the Balance Sheet per se could not be ensured.	It is submitted that the amount of Rs. 30.24 Crore relates to old balances dating back to 10-15 years and hence, no details are available in respect of the same. Therefore, action for write off shall be taken with the approval of Competent Authority.
2.	**Assets-Sundry Debtors - Rs. 105.91 crore (Schedule D)**	

	Observations	Reply
	DDA is authorized to collect damage charges with interest under section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 from unauthorized occupants of Government Land placed at the disposal of the erstwhile Delhi Improvement Trust through the 'Nazul Agreement.' However, despite being repeatedly commented upon in the Separate Audit Reports since 2018-19, DDA has not calculated the amount recoverable as damage charges for the year 2022-23.	Last survey of Damage Property was conducted in 1959. About 18,536 properties were found under unauthorized occupation that was recorded in Sikni Girdawari in the year 1959. Subsequently, it was noticed that there has been significant increase in the number of Damage Payee properties due to horizontal subdivision and vertical development of the property. Since no survey was conducted after 1959, the exact assessment due to non availability of the current status of such properties is not feasible. Therefore, a door to door survey is under process to take the stock/latest status of damage payee properties. The DDA has taken sincere efforts from time-to-time to recover the damages, which are follows:- • A Scheme of waiver of upto 50% interest on delayed payment of damage charges was implemented in the year 2019. • A portal for self-assessment of damage property was made online on 10th July 2020 wherein, damage payees could register themselves and provide the details of their property.

	Observations	Reply
		• Door to door survey of damage properties is under process to take the current status of damage payee properties as the properties have been increased multifold due to its vertical and horizontal division. • Awareness camps on all the Nazul Estates and advertisements were also given in leading newspapers. • An online LMIS portal has been launched 10.10.2022 by Hon'ble LG vide which that the facility of issuance of notice regarding recovery of damage charges and self assessment of damage charges. An amnesty scheme containing the benefits for waiver of interest component calculated on outstanding damage charges shall be applicable to the unauthorized occupants, who have ever paid any damages to DDA, in 23 Nazul Estates as per records. The scheme, on its approval, will be launched in four consecutive phases, each phase being for a period of six months giving rebate on interest component in graded manner as follows:- i. **100% waver** of the entire interest component in the FIRST Phase. ii. **75% waiver** of the entire interest component in the SECOND Phase. iii. **50% waver** of the entire interest component in the THIRD Phase. iv. **25% waver** of the entire interest component in the FOURTH Phase.
B.	**Nazul-II**	
1.	**Receipts and Payments Account** **Other Miscellaneous Receipts -Rs. 61.78 crore**	

	Observations	Reply
	An Amount of Rs. 61.78 crore booked under Other Miscellaneous Receipts were not clearly identifiable with property concerned nor were the same reconciled. Further, the booking of such a huge amount under Miscellaneous Receipts without any details necessitates review in DDA.	Miscellaneous receipts amounting to Rs. 61.78 Crore pertain to the amount deposited by applicants with incomplete details and which is not identifiable with respect to nature of receipts, head of account, etc. as the details such as property number, file number or the branch to which it pertains was not identifiable. Most of these are very old receipts.
	In the absence of details/ reconciliation, the Miscellaneous Receipts of Rs. 61.78 crore could not be vouchsafed in audit. The issue is being highlighted in Separate Audit Reports since2019-20.	However, DDA is maximizing online receipt collection system for various types of receipts with the provision of online generation of challan and any payment may not be allowed to be deposited till all the fields in the challan have been entered. This will ensure identification of correct head of receipts. Already, Integrated Disposal of Land Information System (IDLI) for collection of land receipts has been made operational. DDA service portal has also been made operational which enables general public to register themselves and make payment of any type of charges to DDA after generating challan through various online modes of payments such as RTGS, NEFT, Net banking, etc. (https://dda.gov.in/online-payment). The amount under unclassified receipts has since reduced considerably to Rs. 61.78 Crore during FY 2022-23 as compared to miscellaneous receipts of Rs. 481.63 Crore in FY 2019-20. Misc receipt is 13.85% of total NA II receipts in FY 2019-20, which is substantially reduced to 1.89% during the current FY. For reconciliation of this amount, date wise record of amount received is being circulated to concerned units for identification of head of account so that the said receipts are booked under the head of account so identified by passing a rectification entry. It is expected that with further reconciliation and automation of receipts, the amount of miscellaneous receipts will significantly come down during next financial year. Moreover, reconciliation of unidentifiable amount is also under process.
2.	**Non-preparation of Balance Sheet and Income & Expenditure Account for Nazul- II**	

	Observations	Reply
	Nazul-II relates to large scale acquisition, development and disposal activities of land by DDA on behalf of Government of India. In respect of Nazul-II accounts, DDA had prepared Receipts & Payments Account only. Resultantly Assets & Liabilities and Income & Expenditure of Nazul-II accounts have not been depicted in the financial statements. Audit is repeatedly commenting upon non-preparation of Balance Sheet and Income and Expenditure Account for Nazul-II since 2012-13. However, no corrective action has been taken so far.	Nazul II account pertains to Central Government and DDA is required to maintain a record of receipts and payments relating to Nazul II while implementing the scheme of large scale acquisition, development and disposal of land as per the accounting procedure detailed vide MOF letter dated 30.06.1961. DDA Budget and Accounts Rules, 1982 also specify formats for maintaining only the Receipts and Payment Account of Nazul II. Thus, DDA is maintaining Nazul II accounts as per applicable rules. However, efforts are being made to prepare record of properties under Nazul II for which reconciliation of land awards is in progress. Upto date, out of total 1786 awards, 1393 awards have been reconciled with LAC. Concerned units have been asked to prepare a database of assets and liabilities of Nazul II so that preparation of Balance Sheet could be made in a time bound manner. A chartered Accountant firm has been hired for preparation of Balance Sheet of Nazul II in a time bound manner.
C.	**General Development Account**	
1.	**Balance Sheet**	
1.1	**Current Liabilities and Provisions (Schedule C)- other Liabilities-** **Advances from allottees of various DDA Housing Schemes-Rs. 410.15 crore and Advances from allottees-Ministry of Rehabilitation Land - Rs. 9.06 crore**	

	Observations	Reply
	DDA has recognized Rs. 410.15 crore as 'Advances from Allottees of various DDA Housing schemes' and Rs. 9.06 crore as 'Advances from Allottees- Ministry of Rehabilitation Land' under the head Other Liabilities (Schedule C). However, these amounts are not supported by allottee-wise details of advances received, date of receipt thereof and current status of the allotment. In the absence of above details, audit was unable to draw an assurance as to the correctness of balance amount of Rs. 419.21 crore under the head 'Advances from allottees of various DDA Housing Schemes' and 'Advances from Allottees-MOR Land'. The issue has been commented upon by Audit since 2019-20, however, no corrective action has been taken by the management.	Efforts are being made to reconcile the sundry debtors for which exercise for issue of recovery notices was undertaken, conversion has been made completely online through Awaas Software, data entry of records is being made in the Awaas software. Here, it is pertinent to mention that the amount booked under advances has reduced from Rs. 645.76 Crore as on 31.03.2020 to Rs. 419.21 Crore (410.15+9.06) as on 31.03.2023. The said advances relates to various housing schemes launched over the past years and efforts are being made to reconcile the same with the data available in Awaas starting from the latest housing scheme.
1.2	**Earnest Money Deposits/Registration Money -Rs. 24.97 crore**	
	The above represents application money received from various applicants and as they were not allotted flats, the same was refundable. However, it was observed that DDA had not taken any step to refund Earnest Money Deposits/Registration Money to respective allottees despite the amounts being pending since 2004. In the absence of a detailed schedule, the correctness of the amount could not be vouchsafed and the impact on accounts quantified. Though the management assured to reduce the liabilities by taking appropriate action, no progress has been made in this regard.	The registration money of Rs. 24.97 Crore pertains to six old schemes namely, NPRS 1979, AAY 1989, JHRS 1996, General Housing and RPS Scheme and EHS Scheme. Before 2004, a FDR was issued to each applicant in lieu of registration money deposit. Surrendering of FDR is done at the time of unsuccessful allottee/ registrant applying for refunds, successful registrant/allottee but applying for refund. The surrender slips for surrendering of FDR issued against registration money deposit is still being issued by the Housing Wing. However, in order to further reduce the liabilities, concerned units have been asked to create awareness amongst the allottees by issue of public notice or other modes for claiming refund of registration money pertaining to the aforesaid schemes. Further, it is being considered to give one last opportunity to allottees to claim back the registration amount after which the same shall be forfeited and recorded as income in the books of accounts.
1.3	**GDA - Suspense Account - Rs. 13.26 crore**	

	Observations	Reply
	A reference is invited to comment no. 2(xi), 2(ix) and 2(x) of Annexure to SAR on the Financial Statement of DDA for the F.Y. 2019-20, 2020-21 and 2021-22 respectively, wherein the issue of non-reconciliation of Suspense A/c was pointed out. It was, however, noticed that an amount of Rs. 13.26 crore (Previous Year Rs. 13.19 crore) is still reflected under the 'Suspense Account' as on 31 March 2023. Corrective steps need to be taken in this respect by DDA.	The amount which are deposited by the allottees through NEFT/RTGS and that too without generating challan resulting in the said amount being shown as unclassified receipt under the head suspense. Further, a mechanism has been put in place to ensure that the allotttes deposit their payment through DDA's public service portal after generating challan. This will ensure that payments are made only after challans have been generated which will minimise accumulation of balances under suspense head. Sincere efforts are being made by DDA to reconcile the balance amount lying under suspense head in coordination with the concerned bank.
2.	**Assets**	
	Current Assets, Loans & Advances (Schedule F) **Sundry Debtors - Rs. 540.47 crore**	
	Note No. 11 of the Notes forming part of the Accounts (Schedule O) disclosed that party-wise and age-wise details of Sundry debtors as on 31 March 2023, duly reconciled was not readily available. DDA was not maintaining party-wise and age-wise breakup of debtors (except for water charges of Rs. 295.85 crore); as such audit was unable to draw an assurance as to the authenticity, existence and recoverability of sundry Debtors amounting to Rs. 244.62 Crore. Mere disclosure in Notes to Accounts that debtors had not been reconciled, was not sufficient. Even though this point was repeatedly raised in the previous SARs since 2013-14, DDA has not been able to maintain party wise and age-wise details of sundry Debtors till date.	Out of total sundry debtors of Rs.540.47 Crore, an amount of Rs. 295.85 Crore pertains to recoverable on account of water charges. The party wise details in respect of water charges are available and the same have been provided to Audit. This account for almost 55% of total sundry debtors carried in the books of accounts. In respect of debtors relating to hire purchase installments, it is submitted that the same relates to old allotments. The conversion of these flats is being carried out and all the dues are recovered from the allottees being issuing NOC for conversion. Moreover, the process of conversion and collection of outstanding dues has been made online through Awaas portal for speedy recovery and reconciliation of outstanding debtors.
3.	**Significant Accounting Policies (Schedule N)** **Inventory (Item No.7)**	

	Observations	Reply
a.	As per item No. 7 of Significant Accounting Policy (Schedule N), inventories are valued at lower of cost or Net Realizable Value (NRV).Para 25 of Accounting Standard-2 relating to 'Valuation of Inventories' stipulates that an assessment is to be made of NRV at each Balance Sheet date. No such assessment of NRV has been conducted by DDA. This has resulted in violation of AS-2 and Significant Accounting Policy No.7. Further, non-valuation of inventories was not suitably disclosed in the notes forming part of the accounts. Though the issue was commented upon by Audit during the years 2019-20, 2020-21 and 2021-22, no corrective action has been taken by the management.	DDA has adopted accounting policy for valuation of closing inventory (lying as the finished stock, i.e. Housing schemes completed after 1.4.2016) on the basis of the construction cost, land cost and allocated overheads only. Here, it is pertinent to mention that disposal cost of flats is calculated on the basis of construction cost, land cost, departmental charges, interest cost (notional), one-time maintenance charges and civil & electrical work maintenance charges. Out of these, Interest cost, one time civil and electrical maintenance charges doesn't form part of cost of inventory. As such, tentative disposal cost or the net realizable value of inventory of DDA is always higher than cost of inventory. Hence, there appears no violation of Accounting policy/Standard as DDA is depicting inventory at lower of cost and realizable value (disposal cost). As per AS - 2 Valuation of Inventory: 1. Para 1-5 of AS 2 deals with measurement of Inventory which states that inventory should be valued at cost or net realisable value. 2. Para 6-19 of AS 2 deals with cost of inclusion or exclusion from inventory including cost formulas, techniques etc. 3. Para 20-25 deals with inventory which have been damaged or are not valued at cost and are shown at net realizable value in books. 4. Para 26 of AS 2 deals with disclosure of inventory accounting policies adopted and valuation of inventory in financial statements. Based on the above facts, NRV is more than cost, inventory has been valued at cost which is lower than NRV. Accordingly, disclosure as per AS 2 valuation of inventory i.e. Cost or NRV whichever is lower is fully met out.
4.	**Notes to Accounts (Schedule O)**	
4.1	**General**	

	Observations	Reply
	As per Uniform format of Accounts, the investment in government securities should be disclosed at cost/book value, however, difference between such value and marked value should be given in notes to Balance sheet, Audit noticed that the difference was not disclosed in notes to accounts.	DDA invests in Government securities for a period of up to 3 years. Hence, they shall be classified as long- term investments which are booked at cost as per Uniform Format of Accounts. Further, DDA generally holds the Government securities till maturity and interest on investment is recognized on accrual basis. The face value of the investment in the securities is received on maturity of the investments.
		As such, difference between book value/cost and market value of investments is not being shown in the notes to accounts as investments are being held till maturity and there is no decline in value of such investments. Till date, investments in Government securities have been held till maturity by DDA. The said treatment is being followed consistently. However, as pointed out by Audit, the market value of government securities shall be reflected in the Investment Ledgers from next financial year onwards.
4.1	**Employee Benefits -Note No. 4**	

Annexure to Draft Separate Audit Report on the Accounts of Delhi Development Authority for the year ended 31 March 2023

Para No.	Audit Observation	Reply
1.	**Adequacy of Internal Audit System**	
	The Internal Audit of Delhi Development Authority (DDA) is being conducted by its own Internal Audit Wing. Out of the 216 auditable units under the administrative control of Internal Audit Wing, 52 units were planned for internal audit during the F.Y. 2022-23, out of which only 34 units could be	Out of 216 auditable units under the administrative control of Internal Audit Wing, 52 units were planned for Internal Audit during the financial year 2022-23. Out of 52 units, 34 units could be audited during the year by the Internal Audit Wing. For increasing the number of audits, the manpower consisting of AO's and AAO's have been increased in Internal Audit Cell. Hence, two Internal Audit parties will be deputed for Audit work to cover as many as units possible in the FY 2023-24.
2.	**Adequacy of Internal Control System**	
	Internal control needs to be further strengthened, especially in regard of the following:	
(i)	There is no approved Whistle Blower Policy in DDA. Whistle Blower Policy is required to be formulated to enable all employees to raise their concerns against any malpractice such as immoral, unethical conduct, fraud, corruption, potential infractions of the Code of Conduct of the Authority. Such a policy is also required as it outlines the reporting procedure and investigation mechanism to be followed in case an employee blows the whistle for any wrong-doing in the entity.	No specific whistle blower policy exists presently. The action for framing whistle blower policy for DDA shall be considered as per suggestions of the Audit.
(ii)	There is no Operational, Financial and Accounting Manual or Standard Operating Procedures for effective accounting and control. Authority replied that Budget and accounts Rules, 1982 serves as accounting manual for DDA. The reply is not acceptable as rules do not serve as manual and SOP has to be designed based on Rules.	Accounting function in DDA is guided by the Budget and Accounts Rules, 1982 which serves as accounting manual for DDA. The SOP for activities viz refund under e-auction, chargeback, audit para settlement, etc. have so far been framed.

Para No.	Audit Observation	Reply
(iii)	There are no prescribed, documented or approved Key Performance Indicators (KPIs).	Though no Key performance indicators have been framed in DDA, however, APAR mechanism is available for performance monitoring of employees on a periodic basis.
(iv)	There is no risk assessment policy of DDA.	The suggestion of Audit relating to formulation of risk assessment policy shall be examined and decided as per the requirement of DDA.
(v)	There is no approved fraud detection and prevention policy of DDA.	The suggestion of Audit relating to formulation of fraud detection and prevention policy shall be examined and decided as per the requirement of DDA.
(vi)	DDA has not prepared flow chart listing steps in various operations, procedures and activities which were specific to its working.	SOP's have been framed during the year on e-Auction, freezing of accounts, chargeback, audit para settlement, etc. Further, computerisation of internal processes is underway for which these processes are being documented.
(vii)	The Authority does not maintain details of payments made by the buyers along with copies of challans and thus is dependent on documents produced by the buyers. There is also no mechanism to trace that the amount received in bank is paid towards which property.	In case the allottee is not able to produce challans, there is a mechanism considering and verification of payment on production of bank certificate and indemnity bond. Further, Awaas software has been developed in which flat wise ledger is being maintained. However, since the Awaas has started functioning since 2000 onwards, therefore, old records are not fully maintained in Awaas since the same dates back to 1979. Demand and collection ledger (file wise) is being maintained in Awaas software. However, there are some reconciliation issues with respect old allotments which relates to 1979 and hence, the same are being sorted out gradually with reconciliation and computerisation of housing records. Upto date, around 580 demand and collection registers have been verified and are being scanned and digitised, after which they shall be updated in Awaas Software.

Para No.	Audit Observation	Reply
(viii)	The Authority does not maintain details of properties leased out, lease rentals receivables and accounting of pending lease rents. In the absence of the same, audit is unable to ascertain the correctness and completeness of the figures accounted for as License fee.	Maintenance of property wise record of lease rentals is under progress and a software has been got developed from 3 I Infotech for collection of license fees A module for collection of licensed properties and ground rent for lease hold properties. The data entry work has been made in the software and it shall be operationalised shortly. Further efforts are being made to prepare record of all leasehold properties so that lease rental recovery could be ensured. The record of let out properties under GDA is available in the fixed assets register.
(ix)	**Non-Preparation of accounts on accrual basis**	
	There are seven Central Accounting Units (CAU), namely CAU (North Zone), CAU (South Zone), CAU (East Zone), CAU (Dwarka), CAU (Rohini), CAU (P&CWG) and CAU (Sports). In addition, there are seven accounting units other than CAU viz. Cash (Main), Cash (Housing), Staff Benefit Fund, Medical, Bhikaji Cama Place, PAO and UTTIPEC. The DDA basically follows the CPWD pattern of preparation of monthly accounts at CAU level. The monthly accounts rendered by the CAUs are posted in the Classified and Consolidated abstracts at headquarter level. The accounts are finalized by conversion of cash basis accounts to an accrual basis by the Tax Consultant by passing adjustment entries at the year-end. Thus, DDA does not record its transaction on an accrual basis as and when these transactions take place. Immediate steps are warranted for implementation of some tailor-made accounting software system which may help in streamlining accounting of DDA. This shows lack of internal control and poor monitoring by DDA. This comment was also raised during the year 2020-21 and 2021-22, however, no corrective action has been taken by the management.	DDA is following double entry system and converting its accounts from cash basis to accrual basis at the end of the year in respect of GDA and Nazul I Accounts. As regards the implementation of accounting software, it is submitted that the implementation of Tally software has been made operational in account rendering units w.e.f. 01.04.2019. Moreover, development of Integrated Financial management System (IFMIS) for DDA is also being undertaken.
(x)	**Lack of Internal control and poor monitoring resulted in non-submission of monthly details of encroachment land.**	

NOTES

NOTES

Mehrauli Archaeological Park

Baansera

Astha Kunj

Yamuna Asita

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Vikas Sadan, INA, New Delhi - 110023
www.dda.gov.in

Follow us on : ddaofficial official_dda official_dda Official_dda DelhiDevelopmentAuthorityLive